रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 34] शिमला, शनिवार, 25 अक्तूबर, 1986/3 कार्तिक, 1908 [संख्या 43

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1072--1081
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और ज़िला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	1081--1088
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	1088--1093
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	1093--1102
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुन: प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

25 अक्तूबर, 1986/3 कार्तिक, 1908 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या इ० एक्स-एन०-एफ० (17)-3/81, दिनांक 18 अक्तूबर, 1986.	उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग	तारीख 26-8-86 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की सम संख्यांक अधिसूचना तारीख 26-8-86 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशन ।
क्रमांक एल० एल० आर० (डी०) (6) 21/86-लैजिस्लेशन, दिनांक 21 अक्तूबर, 1986.	विधि विभाग	हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का अध्यादेश संख्यांक 3) का अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन ।
No. Per. (Vig.) F-3 (PWD)-132/83, dated the 3rd October, 1986.	Personnel (Vigilance) Department	Extending the period for the submission of enquiry report relating to the purchase of GI pipes.
संख्या ई०-एक्स०-एन०एफ० (9)-1/82, दिनांक 23 अक्तूबर, 1986.	आबकारी एवं कराधान विभाग	हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के अधिनियम उपबन्ध के प्रवृत होने बारे दिन निश्चित करने का अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन ।

2278-राजपत्र/86-25-10-86—1,268.

मूल्य : 1 रुपया ।

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 14th August,1986

No. HHC/GAZ/14-31/74-II-9057.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 10 days earned leave with effect from 21-8-1986 to 30-8-1986 with permission to suffix Sunday falling on 31-8-1986 in favour of Shri V. K. Ahuja, Senior Sub-Judge-*cum*-Chief Judicial Magistrate, Una, Himachal Pradesh.

Certified that Shri V.K. Ahuja is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds to avail leave for the above period.

Also certified that Shri V. K. Ahuja would have continued to hold the post of Senior Sub-Judge-*cum*-Chief Judicial Magistrate, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
B. K. SHARMA,
Deputy Registrar (Admn.).

Shimla-1, the 23rd August, 1986

No. HHC/Admn. 16 (10) /74-9433.—In exercise of the powers vested in them under Section 139 (*b*) of the Code of Civil Procedure and under Section 297 (*b*) of the Code of Criminal Procedure, the Hon'ble the Chief Justice and the Judges are pleased to appoint S/Sh. Beli Ram Rana and Hira Lal Karwa, Advocates, Kullu as Oath Commissioners at Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh, for a period of two years with immediate effect for administering oaths/affirmations on affidavits to the deponents under the Codes in accordance with the terms specified in paragraph 5 of Chapter 12-B of the Punjab High Court Rules and Orders, Volume IV, as applied to Himachal Pradesh.

Shimla-1, the 29th September, 1986

No. HHC/Admn.16 (9)/74.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges of this Court are pleased to accept the resignation of Shri Dharamvir Singh Parmar, Advocate from the Office of the Oath Commissioner with immediate effect who was appointed as such *vide* this Registry Notification of even number, dated May 17, 1985.

By order,
Sd/-
Registrar.

Shimla-1, the 29th September, 1986

No. HHC GAZ/14-133/82.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to accord *ex-post-facto* sanction for the grant of 6 days earned leave *w.e.f.* 21-7-86 to 26-7-86 with permission to affix sundays falling on 20-7-86 and 27-7-86 in favour of Shri D. K. Sharma, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Paonta Sahib.

Certified that Shri D. K. Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded to avail leave for the above period.

Also certified that Shri D.K. Sharma would have continued to hold the post of Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 4th October, 1986

No. HHC/GAZ/14-74/76-II.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 13-10-1986 to 25-10-1986 with permission to prefix holidays falling on 5-10-1986 to 12-10-86 (being Dushera holidays) and suffix Sunday falling on 26-10-1986 in favour of Shri D. D. Sharma, Sub-Judge-*cum*-JMIC 1st Class, Sundernagar, District Mandi.

Certified that Shri D. D. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds to avail leave for the above period.

Also certified that Shri D. D. Sharma would have continued to hold the post of Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
B. K. SHARMA,
Deputy Registrar (Admn.).

Shimla-1, the 4th October, 1986

No. HHC/GAZ/1-1/74-III.—In supersession of this Registry Notification No.HHC/GAZ/1-1/74-III-1742-49, dated 18/19th February, 1986, the Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri G. D. Sehgal, as Special Secretary to the Hon'ble the Chief Justice in the pay scale of Rs. 2000—2300+Rs. 200/- as special pay, on regular basis in temporary capacity in his present post with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar.

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 अगस्त, 1985

संख्या पशुपालन-च (6)-7/82.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पशुपालन-च (6)-7/82, दिनांक 19 मार्च, 1983 द्वारा गठित मूल्यांकन समिति के परामर्श पर राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वर्ष 1985-86 परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये पशुपालन विभाग के विभिन्न पशु एवं कुक्कुट समुदाय तथा उन से उत्पादित वस्तुऐं और चारा बीज आदि के वर्ष 1985-86 के लिये विक्रय दरों के निर्धारण को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह विक्रय दर वर्ष 1985-86 में लागू रहेगी तथा यदि नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय-समय पर बाजार भाव देखते हुए इन विक्रय मूल्यों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई कमी या बढ़ोतरी करें तो वह इसकी सूचना तुरन्त सरकार एवम् निदेशक पशुपालन को पूरा औचित्य दर्शाते हुए भेजें।

परिशिष्ट "क"

मूल्यांकन समिति से पारित

पशु समुदाय तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं व पौध सम्बन्धी आदि की विक्रय दरों की अधिसूचना, वर्ष 1985-86 तुरन्त अगले आदेशों तक, पशु पालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

भेड़ व बकरियां

मद	विक्रय दर	
(1) देशी भेड़ (रामपुर बुशहरी, गद्दी) (मूल्य रुपयों में)		
	नर	मादा
एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	30	20
1 मास से 2 मास से कम	60	40
2 मास से 3 मास से कम	80	60

(मूल्य रुपयों में)

	नर	मादा
3 मास से 4 मास से कम	100	80
4 मास से 5 मास से कम	120	95
5 मास से 6 मास से कम	140	120
6 मास से 9 मास से कम	160	140
9 मास से 1 वर्ष से कम	180	160
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	200	180
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	225	200

(2) रैम्बुलेट (जर्मन मरीनों/पोलवर्थ तथा उनके अन्तर जातीय क्रास) (यदि कोई हो फार्म सन्तति)

एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	55	45
1 मास से 2 मास से कम	135	95
2 मास से 3 मास से कम	165	130
3 मास से 4 मास से कम	195	160
4 मास से 5 मास से कम	230	190
5 मास से 6 मास से कम	260	225
6 मास से 9 मास से कम	290	255
9 मास से 1 वर्ष से कम	325	295
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	355	315
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	385	350

(3) पोलवर्थ (रूसी मरीनों) जर्मनलैंड (मरीनों) रैम्बुलेट देशी भेड़ (फार्म सन्तति)

	नर	मादा
एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	35	30
1 मास से 2 मास से कम	85	65
2 मास से 3 मास से कम	120	95
3 मास से 4 मास से कम	150	130
4 मास से 5 मास से कम	180	160
5 मास से 6 मास से कम	210	190
6 मास से 9 मास से कम	245	225
9 मास से 1 वर्ष से कम	275	255
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	305	285
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	340	315

(4) रूसी मरीनों (रैम्बुलेट आदि एफ-1×एफ-2 आदि)

(मूल्यों रुपयों में)

एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	40	30
1 मास से 2 मास से कम	95	75
2 मास से 3 मास से कम	130	105
3 मास से 4 मास से कम	160	140
4 मास से 5 मास से कम	190	170
5 मास से 6 मास से कम	225	200
6 मास से 9 मास से कम	225	235
9 मास से 1 वर्ष से कम	285	265
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	315	295
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	350	330

(5) रैम्बुलेट भेड़ शुद्ध (आयात की गई चीज स्टाक) (मूल्य रुपयों में)

1. मेंढा	2300.00
2. भेड़ मादा	1400.00
3. बच्चा	1300.00

रूसी मरीनों भेड़ शुद्ध (आयात की गई चीज स्टाक) (मूल्य रुपयों में)

1. मेंढा	1790.00
2. भेड़ मादा	1662.00

(6) अंगोरा बकरी (मिश्रित)

	रुपये नर	रुपये मादा
4 मास से कम	बिकाऊ नहीं	बिकाऊ नहीं
5 मास से 6 मास से कम	100	90
6 मास से 9 मास से कम	130	120
9 मास से 12 मास से कम	170	150
12 मास से 2 वर्ष से कम	210	180
2 वर्ष से 5 वर्ष से कम	250	200

बकरियों के चार मास तक के बच्चों का मूल्य (बुक वैल्यू) के लिए निम्नलिखित हैं :—

(के मूल्य रुपयों में)

	नर	मादा
1 मास से कम	25	20
1 मास से 2 मास से कम	35	30
2 मास से 3 मास से कम	45	40
3 मास से 4 मास से कम	55	50

टिप्पणी.—पांच वर्ष व इससे ऊपर की आयु वाली भेड़ों तथा बकरियों की दरों में निम्न प्रकार से कमी की जाऐगी :—

5 वर्ष से 6 वर्ष से कम	5 प्रतिशत प्रति वर्ष
6 वर्ष से 7 वर्ष से कम	10 प्रतिशत प्रति वर्ष
7 वर्ष से 8 वर्ष से कम	15 प्रतिशत प्रति वर्ष

नोट.—कल्लिंग समिति की सिफारिशें तथा निदेशक, पशुपालन विभाग के अनुमोदन पर कल्लिंग कर के नीलाम कर दिया जाये।

2. मूल्य में घटायों की आखरी आयु ग्रुप की सब से अधिक निर्धारित मूल्य से गिना जाये।

3. पुरानी आयात की गई रैम्बुलैट तथा रूसी मरीनों भेड़ों का भारत में पहुंचने का मूल्य ही उनका बुक वैल्यु निर्धारित किया गया।

4. नर-मादा भेड़ों आदि का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए तीन गुना होगा।

गोजातीय पशु :

आयु	होलस्टेन फीजियन/जर्सी अमिश्रित नर पशु सबसे अधिक दूध देने वाली व्यति (कि0 ग्रा0) (रुपयों में)			
1	2	3	4	5
	1501 से 2000	2001 से 2500	2501 मे 3000	3001 से अधिक
6 मास से कम	250	500	600	700
6 मास से 12 मास से कम	500	600	800	900

1	2	3	4	5
12 मास से 18 मास से कम	900	1000	1200	1300
18 मास से ऊपर	1500	1600	1800	2000

टिप्पणी.—1. नर पशुओं के उपरोक्त मूल्य आठ वर्ष से कम तक से उनके उपरान्त इनका मूल्य 9 वर्ष में 100 रुपया कम कर दिया जाये और 10 वर्ष से उपरोक्त 200 रुपया हर वर्ष कम कर दिया जाये।

2. हर नर पशु का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए दुगना होगा।

3. जहां पर तीन किलोमीटर की परिधि में विभाग द्वारा स्थाई तौर पर प्रजनन का कोई प्रावधान न हो वहां कोई प्रदेशीय पंचायत या उनसे अधिकृत प्रगतिशील किसान सार्वजनिक हित के लिए नर पशु प्रजनन हेतु लेगा तो विभाग उनको बिना मूल्य के नर पशु प्रजनन हेतु देगा, यदि विभागीय फार्मों पर ऐसे पशु उपलब्ध होंगे। यह नियम शुद्ध तथा दोगले दोनों पर लागू होगा।

4. पंचायत व किसान, गाय को गर्भवती करने का शुल्क ले सकेंगे जो भी विभाग ने निर्धारित किया हो।

मादा अमिश्रित (सबसे अधिक दूध देने वाला ब्यांत पहले ब्यांत तक

(किलोग्राम) :

आयु	1501 2000	2001 2500	2501 3000	3001 3500	3501 4000	4001 से अधिक
6 मास से कम।	1400	1500	1600	1700	1900	2100
6 मास से 12 मास से कम।	2000	2100	2200	2300	2500	2700
12 मास से 18 मास से कम।	2500	2600	2700	2800	3000	3200
18 मास से ब्यांत तक	2900	3000	3100	3200	3400	3600

दुधारू गाय सब से अधिक दूध का अभिलेख (रुपयों में):

(क)	1500 किलोग्राम तक	3400
(ख)	1501 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम तक	3500
(ग)	2001 किलोग्राम से 2400 किलोग्राम तक	3600
(घ)	2401 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक	3800
(ङ)	3001 किलोग्राम से 3500 किलोग्राम तक	4100
(च)	3501 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम तक	4500
(छ)	4001 किलोग्राम से अधिक दूध	4700

1. विदेशी पशु 1970-71 तथा 1971-72 में आस्ट्रेलिया से आयात किये गये जर्सी पशु :

मदद	मूल्य पहुंच (रुपये)
अमिश्रित जर्सी बछड़िया/सांड	4000 प्रति पशु

2. भारतीय डैरी निगम द्वारा 1972-73 में आयात किये गये जर्सी/होलस्टेन फ्रीजियन पशु :

अमिश्रित जर्सी/होलस्टेन फ्रीजियन गाय बछड़ियां : 7790 रु० प्रति पशु।

3. 1976-77 में आस्ट्रेलिया से आयात किये जर्सी/होलस्टेन फ्रीज़ियन पशु (रुपये प्रति पशु) :

1. जर्सी बछड़ियां	7188.00
2. होलस्टेन फ्रीजियन बछड़ियां	9023.00
3. जर्सी सांड	9134.00
4. होलस्टेन फ्रिजियन सांड	12789.00

आयु	आधा जर्सी/होलस्टेन क्रास (रुपये)		आधा से अधिक जर्सी/होलस्टेन क्रास (रुपये)	
	नर	मादा	नर	मादा
6 मास से कम	50	850	60	950
6 मास से 1 वर्ष से कम	60	1300	70	1400
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम	110	1800	140	1900
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम	140	2350	160	2450
3 वर्ष से 4 वर्ष से कम	180	2750	220	2850

गाय के बारे :

गायों का कुल मूल्य निकालने के लिए प्राथमिक मूल्य के साथ निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखें :—

1. गर्भावती होने पर इस आयु संघ की कुल मूल्य पर 10 से 15 प्रतिशत पहले 5 मास व उसके बाद क्रमशः अधिक मूल्य लिया जायेगा।
2. प्रतिदिन हर एक लिटर दूध उत्पादन पर 25 रुपये अधिक लिये जायेंगे।
3. यदि गाय 5वीं या 6वीं बार ब्याही गई हो तो वास्तविक बुक वैल्यु जो उस गाय के सामने लिखी गई हो से 10 प्रतिशत मूल्य कम लिया जायेगा तथा यदि गाय 7वीं या इससे अधिक बार ब्याही गई हो तो वास्तविक बुक वैल्यु जो उसके सामने लिखी गई हो से 20 प्रतिशत कम मूल्य लिया जायेगा। परन्तु किसी भी दशा में अमिश्रित भाग का मूल्य 700 रुपये से कम न हो तथा दोगली नस्ल की गाय का 50 रुपये से कम नहीं होगा।
4. नर तथा मादा पशु का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अधिक होगा।
5. नये आयात किये गये जर्सी/होलस्टेन फ्रीजियन गाय/बछड़ियां/सांडों का मूल्य भारत में पहुंचने का मूल्य ही उनकी बुक वैल्यु निर्धारित किया गया है।

चार वर्ष से अधिक क्रास ब्रेड बैल/सांड :

4—5 वर्ष की आयु के लिए 5 प्रतिशत का बढ़ाना।
5—6 वर्ष की आयु के लिए 10 प्रतिशत का बढ़ाना।
6—7 वर्ष की आयु के लिए 15 प्रतिशत का बढ़ाना।
7—8 वर्ष की आयु के लिए 20 प्रतिशत का बढ़ाना।
8—9 वर्ष की आयु के लिए 5 प्रतिशत की कमी।
9—10 वर्ष की तथा उससे अधिक आयु के लिए 10 प्रतिशत की कमी की जाये।

गद्दी कुत्ते तथा सीमा कुली कुत्ते :—

आयु	नर	मादा
	(रुपयों में)	
3 मास से कम	50	40
3 मास से 6 मास से कम	80	60
6 मास से 9 मास से कम	110	90
9 मास से अधिक	150	130

मांस की दरें :

भेड़ 6 रुपये प्रति किलोग्राम जीवित भार।
बकरी 7 रुपये प्रति किलोग्राम जीवित भार।

कम्पोजिट अथवा दुग्ध परियोजना (सरकारी फार्म) :

निदेशक पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश विभिन्न दुग्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत दुग्ध के क्रय मूल्य तथा दुग्ध पदार्थ के विक्रय मूल्य बाजार में समय-समय पर उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा। सरकारी फार्मों पर उत्पादित दुग्ध व दुग्ध पदार्थों का विक्रय मूल्य भी निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा फार्मों तथा उप-निदेशक (दुग्ध) की सिफारिशों पर निर्धारित किया जाएगा तथा इस बारे निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश की सरकार को सूचना अवश्य भेजनी होगी।

अण्डे

दरें सभी फार्मों के लिए (पीओ तथा टापरी के अतिरिक्त) :

ग्रीष्म ऋतु		शरद ऋतु	
(1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक)		(1 अक्तूबर से 31 मार्च तक)	
ए ग्रेड	50 पैसे	ए ग्रेड	60 पैसे
बी ग्रेड	45 पैसे	बी ग्रेड	55 पैसे

पी0 ओ0 तथा टापरी के लिए:

ए ग्रेड	60 पैसे	ए ग्रेड	70 पैसे
बी ग्रेड	55 पैसे	बी ग्रेड	65 पैसे

दरें.—नये स्ट्रेन वाली 19 सप्ताह से 23 सप्ताह तक की मुर्गी के अण्डों का विक्रय मूल्य :

ग्रीष्म ऋतु	शरद ऋतु
28 पैसे	30 पैसे

नये स्ट्रेन के उपरोक्त अण्डों के मूल्य प्रभारी अधिकारी 5 पैसे तक कम व अधिक बाजारी भाव को देख कर कर सकता है।

2. हैचिंग के लिए अण्डे का मूल्य प्रत्येक अण्डा 1.50 रुपये होगा।

कुक्कुट

खाने के लिए प्रति किलोग्राम :

सभी फार्मों के लिए (पीओ और टापरी के अतिरिक्त):

	शरद् ऋतु	ग्रीष्म ऋतु
जीवित भार	16 रु0	15 रु0
ड्रैस्ड खाने के लिए	23 रु0	22 रु0

पीओ और टापरी के लिए :

	शरद ऋतु	ग्रीष्म ऋतु
जीवित भार	19 रु0	17 रु0
ड्रैस्ड खाने के लिए	26 रु0	25 रु0

सभी फार्मों के लिए (पीओ और टापरी के अतिरिक्त) ब्रायलर 8 सप्ताह से अधिक (किलोग्राम) :

जीवित भार	18 रु0	16 रु0
ड्रैस्ड खाने के लिए	25 रु0	23 रु0

पीओ व टापरी के लिए :

जीवित भार	20 रु0	19 रु0
ड्रस्ड खाने के लिए	27 रु0	26 रु0

सेने वाले ब्रायलर तथा दूसरी मुर्गियों के अण्डे :

प्रति अण्डा एक रुपया — सारे वर्ष के लिए

अण्डे देने वाली नस्ल के पालने योग्य पक्षियों (कुक्कुट) की विक्रय दरें (टापरी व पीओ फार्मों के अतिरिक्त)

आयु संघ दरें (टापरी व पीओ फार्मों के अतिरिक्त) सारे हिमाचल प्रदेश के लिए :

सप्ताह	रुपये	रुपये नर	रुपये मादा
0–1	3.00	0.65	5.50
1–2	3.50	2.00	5.75
2–3	4.00	2.50	6.25
3–4	4.50	3.00	6.75
4–5	5.00	3.50	7.26
5–6	5.75	4.00	7.75
6–7	6.75	5.00	8.25
7–8	7.75	6.00	9.00

आयु संघ	(मूल्य रुपयों में) नर	मादा
8–9	8.00	10.00
9–10	9.00	11.50
10–11	10.00	12.50
11–12	11.25	13.50
12–13	12.50	15.00
13–14	13.75	16.50
14–15	15.00	18.00
15–16	16.50	20.00
16–17	18.00	22.00
17–18	19.50	24.00
18–19	21.00	26.00
19–20	22.50	29.00
20–21	24.00	32.00
21 सप्ताह व अधिक	25.50	34.00

अण्डे देने वाली नस्ल की पालने योग्य कुक्कुट की विक्रय दरें (पीओ व टापरी के लिए) :

आयु (सप्ताह)	नर/मादा बिना लिंग ज्ञान रुपये	लिंग ज्ञान रुपये नर	मादा
0–1	3.25	0.75	5.75
1–2	3.75	2.25	6.00
2–3	4.25	2.75	6.25
3–4	4.75	3.25	7.00
4–5	5.25	3.75	7.50
5–6	6.00	4.50	8.00
6–7	7.00	5.50	8.50
7–8	8.00	6.50	9.50

आयु	नर	मादा
8–9	8.50	10.50
9–10	9.50	12.00
10–11	10.50	13.00
11–12	11.75	14.00
12–13	13.00	15.50
13–14	14.25	17.00

आयु	नर	मादा
14–15	15.50	18.50
15–16	17.00	20.50
16–17	18.50	22.50
17–18	20.00	24.50
18–19	21.50	26.50
19–20	23.00	29.50
20–21	24.50	32.50
21 व अधिक	26.00	35.00

ब्रायलर स्ट्रेन की दरें (पीओ व टापरी के लिए) :

आयु	रुपये
0–1	4.25
1–2	5.25
2–3	6.25
3–4	7.50
4–5	9.00
5–6	10.50
6–7	12.00
7–8	13.50

8 सप्ताह के बाद दर जीवित भार प्रति किलोग्राम के अनुसार होगा।

नोट —16 सप्ताह के बाद केवल चुने मुर्गे फार्म पर प्रजनन के लिए व मुर्गी पालकों के लिए रखे जायें।

2. जिन फार्मों मे सैकलिंग आरम्भ हो जायेगा तो एक दिन का नर चूजा 50 पैसे में बेचा जायेगा। न बिकने पर प्रभारी को स्वयं नष्ट करना होगा, यदि आवश्यकता से अधिक हों।

आयु संघ	ब्रायलर स्ट्रेन के लिए दरें (पीओ व टापरी के अतिरिक्त) (रुपयों में)
0–1	4.00
1–2	5.00
2–3	6.00
3–4	7.25
4–5	8.50
5–6	9.75
6–7	11.00
7–8	12.50

8. सप्ताह के बाद हर जीवित भार प्रति किलोग्राम के अनुसार होगा।

टिप्पणी.—1. कुक्कुट पालकों से कस्टम हैचिंग की सुगमता सारे वर्ष के लिए देने हेतु 20 पैसे प्रति अण्डा हैचिंग शुल्क लिया जायेगा।

2. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न स्थानों के अधिकारियों को अधिकार दिया जाता है कि प्रति अण्डे के दर में 15 पैसे तक (प्रत्येक ग्रेड) समय-समय पर बाजार की दरों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा सकते है तथा इसी प्रकार 15 पैसे घटा सकते हैं। परन्तु ब्रायलर ड्रैस्ड मुर्गी खाने योग्य की दर को 3 रुपये तक घटा तथा 5 रुपये तक बढ़ा सकते है। जीवित भार में क्रमशः 2 व 3 रुपये तक कर सकता है। इस बारे नियन्त्रक अधिकारी को निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश एवम् सरकार को सूचना अवश्य भेजनी होगी।

3. हैचिंग के दो दिन के अन्दर बेचे गये चूजों पर 3 प्रतिशत अधिक चूजे दिये जायेंगे। अण्डों की ग्रेडिंग निम्न प्रकार तथा उनकी बाहरी तथा भीतरी दशा को ध्यान में रखते हुए की जाये।

ए ग्रेड	50 ग्राम से अधिक
बी ग्रेड	50 ग्राम तक

दाना व चारा तथा अन्य पौधों की सामग्री आदि :—

क्रम संख्या	मद	(मूल्य रुपयों में)
1.	हरा चारा	12रु0 प्रति क्विंटल
2.	सूखा घास बिना गांठ किया	40रु0 प्रति क्विंटल
3.	सूखा घास गांठ वाला	45 रु0 प्रति क्विंटल
4.	बीज सोयाबीन तथा लोभिया	4 रु0 प्रति किलो-ग्राम।
5.	जई, ज्वार तथा मटर का बीज	3.50 प्रति किलो-ग्राम।
6.	मध्य आकार के घास और क्लोवर के बीज जैसे राईघास, कालरिस्ट्रयुबरोसा, रावदिनानाथ, नन्दी घास, लव घास, अनजन घास, टास फैसकयू, रैड व क्रिमसन क्लीवर ओंचड घास आदि (फार्म की उपज)।	40 रु0 प्रति किलोग्राम।
7.	श्वेत क्लोवर :	50 रु0 प्रति किलो-ग्राम।
8.	लूसन आदि के बीज	25 रु0 प्रति किलोग्राम।
9.	पौधे सामग्री आदि मेपियर, सटिरिया जड़ें आदि।	5 पैसे प्रति जड़
10.	कुटजु क्राउन	0.20 प्रति जड़
11.	ब्यल, कचनार व बबूल और पौध सामग्री लसूनिया आदि।	10 पैसे प्रति पौधा
12.	उड़द तथा दूसरी दालें	4.50 प्रति किलोग्राम
13.	गोबर कुक्कुट के अतिरिक्त	10.00 प्रति क्विंटल
14.	खाद कुक्कुट	15.00 प्रति क्विंटल
15.	सूखा चारा मक्की	15.00 प्रति क्विंटल
16.	जापानी सरसों।चीनी गोभी	4.00 प्रति किलोग्राम
17.	बालवल बीन	4.00 प्रति किलोग्राम
18.	टिर्युसिट/मक्वरी	6.00 प्रति किलोग्राम
19.	दाना मक्की	1.50 प्रति किलोग्राम
20.	जौ	2.00 प्रति किलो-ग्राम।
21.	राजका बाजरी	6.00 प्रति किलो-ग्राम।
22.	स0 बबूल	30.00 प्रति किलो-ग्राम।
23.	फार्मों पर पत्ती उतारने के बाद लकड़ी/फार्म क्षेत्र से प्राप्त सूखी लकड़ी।	15.00 प्रति क्विंटल
24.	फलीदार फसलों का हरा चारा जैसे काउपीज लूसरन सरसों, ग्वार कलोवर बरसीम आदि।	15.00 प्रति क्विंटल

टिप्पणी. (1) पशुपालकों को 20 किलोग्राम घास बांधने के लिए 30 पैसे प्रति गांठ शुल्क लिया जावे।

(2) प्रभारियों को अधिकार है कि वह समय-समय पर बाजारी भाव को ध्यान में रखते हुए सूखा घास गांठ वाला या बिना गांठ के दर 3.00 रुपये तक बढ़ा घटा सकते हैं।

स्थिति के अनुसार कुक्कुट खाद की दरें पीओ, टापरी, नाहन, कमलाही कुक्कुट फार्मों के प्रभारी अधिकारियों को स्थानीय दरें निश्चित करने का अधिकार दिया जाता है।

ऊन तथा दूसरी तन्तु सम्बन्धी दरें :

मद	फुटकर विक्रय प्रति किलो-ग्राम (रुपये)	थोक विक्रय प्रति क्विंटल (रुपये में)
1	2	3
1. ऊन वाली भेड़ (रामपुर बुशहरी गद्दी)	22.00	2100.00
2. ऊन देशी मेमना	25.00	2400.00

1		2	3
3.	ऊन पोलवर्थ, जर्मनलैंड, रूसी मरीनों, रैम्बुलेट ।	32.00	3100.00
4.	1/2 तथा 3/4 रैम्बुलेट, पोलवर्थ, रूसी मरीनों, जर्मनलैंड मरीनों आदि ।	27.00	2600.00
5.	ऊन मेमना, रैम्बुलेट, पोलवर्थ, रूसी मरीनों, जर्मनलैंड मरीनों आदि ।	33.00	3200.00
6.	ऊन मेमना 1/2 तथा 3/4 रैम्बुलेट, रूसी मरीनों, जर्मनलैंड मरीनों आदि ।	28.00	2700.00
7.	मोहरें	15.00	1400.00
8.	ब्रीच होकस, डेकसा बेलो तथा गन्दी ऊन ।	14.00	1300.00
9.	मैंजी तथा पुल्ड ऊन	नीलामी द्वारा ।	

टिप्पणी.—1. थोक विक्रय दर उस समय लगायें जबकि ऊन की मात्रा तथा भार एक क्विंटल से अधिक हो । मैंजी तथा पुल्ड ऊन को निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश से स्वीकृति ले कर काफी विज्ञापन आदि करके नीलाम किया जायेगा ।

2. क्योंकि ऊन के दाम बाजार में अधिक बढ़ते घटते रहते हैं, अतः निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, दर मूल्य को 10 प्रतिशत अधिक अथवा कम कर सकेंगे ।

3. निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, को अधिकार है कि वह बाजारी भाव को समय पर ध्यान रखते हुए सभी पशु समुदाय तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं दाना तथा चारा अन्य पौधों आदि की दर 5 प्रतिशत तक घटा या बढ़ा सकेंगे । इसी प्रकार कुक्कुट तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं पर यह सीमा 20 प्रतिशत होगी ।

खरगोश बेचने की दरें	मूल्य रुपये		
1. आयु (सप्ताह)			
0—5 (बिकाऊ नहीं)	10.00		
5—6	25.00		
6—12	45.00		
12—24	68.00		
24 से ऊपर	92.00		
2. ऊन प्रति किलोग्राम	450.00		
3. ब्राहलर खाल	छोटी रुपये	दरमियानी रुपये	बड़ी रुपये
(प्रत्येक)			
(अ) सफेद	4.50	6.50	9.00
(ब) काली व अन्य	6.50	9.00	13.75
अंगोरा खालें (प्रत्येक)	4.00		
4. मांस			
(अ) जीवित भार (प्रति किलोग्राम) ।	7.50		
(ब) ड्रैस्ड (प्रति किलोग्राम) ।	11.00		

याक पूंछ तथा खालें आदि :—

याक की पूंछ तथा दूसरे पशुओं की खालें आदि की नीलामी प्रभारी अधिकारी काफी विज्ञापन के उपरांत करेगा ।

टिप्पणी.—विक्रय कर तथा दूसरे कर जैसे-जैसे लागू होंगे वसूल किए जायगे ।

भगत चन्द नेगी,
सचिव ।

BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS

CORRIGENDUM

Fair Lawn, Shimla-171 012, *the 4th October*, 1986

No. HIPA (Exam) 59/80-IV.—In continuation of this Board's Notification of even number, dated the 30th July, 1986 and 22nd August, 1986, thereby declaring the result of the H. P. State Electricity Board Supervisory Accounts Service Part-I Examination, conducted during June-July, 1986, the following corrections be made as shown against each :—

Sl. No.	*Name of the candidate*	*Roll No.*	*Column No.* 1	*Column No.* 2	*Column No.* 3	*Column No.* 4
61.	Tara Chand Chauhan, UDC o/o Chief Engineer Projects HPSEB, Shimla-4.	161	58 Fail	—	—	—
84.	Mohan Lal Verma, UDC, Elect. Division, HPSEB, Jubbal, District Shimla.	184	49 Fail	—	—	—
179.	Yogesh Kumar Walia, UDC, P & D Elect. Unit No. I, HPSEB, Ritz Building, Shimla-1.	279	—	—	—	64½ Fail

NOTIFICATION

Fair Lawn, Shimla-171 012, *the 4th October*, 1986

No. HIPA (Exam) 59/80-IV.—In continuation of this Board Notification No. HIPA (Exam) 59/80-IV, dated the 30th July, 1986, the results of the following officials of the HPSEB of SAS Part-I & II examinations, whose result was notified as later on, is declared as under:—

Sl. No.	Name, designation and address	Roll No.	S.A.S. Part-I				S.A.S. Part-II			
			Paper-I Works & Stores Accounts	Paper-II Revenue Accounts	Paper-III Acts, Rules & Regulations	Paper-IV Civil Service Regulations of the Board	Paper-V Precis and Draft	Paper-VI Advance Accounting and Auditing	Paper-VII Industrial and Commercial Laws	Paper-VIII Accounts, Rules and Procedures
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Smt. Usha Kiran, Head Assistant, S.E. (Operation) Circle, HPSEB Saproon, District Solan.	115	—	82 Pass	77 Pass	—	—	—	—	—

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Shri Durga Dass Sharma, Divisional Accountant, HPSEB, Elect. Division, Kumarsain, Distt. Shimla.	452	—	—	—	—	—	—	24 Fail	98 Fail
3.	Shri Suresh Dutta, Divisional Accountant o/o XEN Elect. Division, HPSEB, Solan.	453	—	—	—	—	—	—	25 Fail	120 Pass
4.	Shri Krishan Lal Sharma, Divisional Accountant, Elect. Division, HPSEB, Karsog, Distt. Mandi.	454	—	—	—	—	—	—	48 Pass	121 Pass

B. M. SOOD,
Secretary.

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th October, 1986

No. 2-21/85-Shram-II.—In exercise of the powers vested in him under section 17 (1) of the Industrial Dispute Act, 1947, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the awards of Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh in the cases detailed below:—

(1) Case No. 133/83 — Vijay Kumar *vs.* Handicraft Officer, Industrial Extension Centre (Toys), Palampur.

(2) Case No. 372/85 — Anil Kumar Sharma *vs.* M/s Himalaya Fertilizers Ltd., Manjholi, Nalagarh, Solan.

(3) Case No. 466/85 — Himachal Hotel Mazdoor, Lal Jhanda Union *versus* Managements of Shimla Hotels and Restaurants, (*ii*) Chai-Chat Dhaba Owners' Association, Shimla.

(4) Case No. 515/85 — United Vanaspati Mazdoor Union *versus* Management of M/s United Vanaspati Pvt. Ltd., Manjholi, Nalagarh, Solan.

(5) Case No. 583/85 — Tarun Kumar Bhandari *versus* Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation, Shimla.

By order,
S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

BEFORE SHRI S.S. KANWAR, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, HIMACHAL PRADESH

Case No. 133/83

Shri Vijay Kumar ..Petitioner.

Versus

Handicraft Officer, Industrial Extension Centre (Toys), Palampur ..Respondent.

Shri Pyare Lal Beri, Authorised Representative of the petitioner with Shri Vijay Kumar, petitioner in person.

Shri I. K. Nayyar, Authorised Representative of the respondent.

AWARD

The parties have arrived at a settlement. The settlement has been filed in court and is EXP-I. In view of this settlement, the dispute between the parties does not survive.

The order terminating the services of the petitioner is hereby quashed and set aside. The petitioner will not get the back wages from the date of the termination of the services till he resumes his duties. The period during which the petitioner has remained out of job, will be counted towards his seniority and other services benefits. The petitioner stands re-instated immediately and will report for duty at Palampur on 5-9-1986. He will remain posted at Palampur on 5-9-1986. He will remain posted at Palampur during the usual period of stay allowed *i.e.* three years. The petitioner will be entitled to all the wages *w.e.f.* 5-9-1986. The settlement will form part of this award. No order as to costs of these proceedings. The copy of this award may be given to the parties free of costs.

S. S. KANWAR,
Presiding Officer,
Labour Court. 31-8-86.

Announced
31-8-86

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

1. Name of parties Representing. Employer.

Himachal Pradesh Handicrafts and Handloom Corporation Ltd., Bhagwati Niwas, Sanjauli, Shimla-171006, through its authorised representative, Shri I. K. Nayyar.

Representing Workman : Vijay Kumar through its authorised representative
Short recital of the case : Reference No. 133 of 1983.

Shri Vijay Kumar s/o Shri Amin Chand
..Pertitioner (Employee).

Versus

1. Incharge, Himachal Emporium, Himachal Pradesh State Dharamshala.

2. Handicraft Officer, Himachal Pradesh State Handicrafts and Handloom Corporation, Palampur, District Kangra ..Respondent.

Whereas the case under the Industrial Disputes Act is pending before the Labour Court.

Now, the parties have come to settlement which is as under:—

TERMS OF SETTLEMENT

1. It is agreed by both the parties that Shri Vijay Kumar Workman is to be taken on his old job Daily

Paid Worker on the same terms and conditions of the earlier appointment.

2. It is also agreed that no back wages would be paid to the workman.

3. It is further agreed that whenever further recruitment takes place, the Corporation shall give first priority to the workman for regular appointment.

Witness : SIGNATURE OF THE PARTIES.

1. Sd/- P. L. Bery. Sd/- Inder Kumar Nayyar.
2. Sd/- Vijay Kumar.

Copy to —

1. The Conciliation Officer (The employment Officer, Shimla and Dharamshala).
2. The Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla.
3. The Secretary to Government of Himachal Pradesh, Labour Department, Himachal Pradesh, Shimla-171002.

BEFORE SHRI S. S. KANWAR, PRESIDING OFFICER LABOUR COURT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-2

Case No. 372/85

Anil Kumar Sharma ..Petitioner.

Versus

M/s Himalaya Fertilizers Ltd., Manjholi, Nalagrah, District Solan ..Respondent.

Shri Pyare Lal Bery, Authorised Representative of the petitioner.

Shri R. K. Gupta, Authorised Representative of the respondent.

AWARD

Shri Anil Kumar Sharma was a Machine Attendant with the Himalaya Fertilizers Ltd., Manjholi, District Solan. He joined his service in the pay scale of Rs. 100—160. He absented from duty *w.e.f.* 30-3-1982. The respondent management terminated his services. He has challanged the termination of his services as illegal, improper and unjustified. He raised an industrial dispute. The following question has been referred to this court *vide* Notification dated 29-5-1985:—

"Whether the termination of services of Shri Anil Kumar Sharma, Machine Attendant by the management of Himalaya Fertilizers Ltd., Manjholi (Nalagarh), District Solan is justified and in order. If not, what relief and amount of compensation, Shri Anil Kumar Sharma is entitled to ?"

Notices were issued to both the parties. Shri Anil Kumar Sharma had put in his claim petition alleging that he never *wilfully* absented from duty and that he had been discharging his duty deligently and efficiently. According to him, he went out of station on 29-3-1982 after obtaining the leave, but he fell ill and had applied for extension of leave upto 31-10-1983 and that when he reported for duty after the expiry of the leave, he was refused by the respondent management to join his duty saying that his services had been terminated. He has further stated that no retrenchment benefits have been paid to him nor any notice has been served on him.

The respondent management has resisted the claim petition and filed a reply, wherein it has been alleged that the petitioner wilfully absented and never applied for leave. It has further been stated that a Registered letter was sent to the petitioner at his address furnished by him to the respondent.

Management calling upon him to explain as to why he absented from duty. He refused to accept this notice and it was returned by the Postal Authority with the remarks that "Prapat Karta Lene se inkar kerta hai". *i.e.* addressee refused to take the delivery of the registered letter. A publication was also issued in the Daily Tribune in its publication, dated 4-5-1982. This publication order is EXR-6, and the copy of the publication from the Daily Tribune is EXR-4 A. Inspite of this publication, the petitioner did not report for duty. The respondent management had no other alternative except to terminate his services because of his wilful absence from duty. From the averments of the parties the following issues arose and have been framed by me on 6-12-1985.

1. Whether the termination of services of Shri Anil Kumar Sharma is justified and in order. If not, to what effect? (D.P.R.).
2. Relief.

FINDINGS

Issue No. 1:

Shri S. K. Kaushik, RW-I, has been examined by the respondent management to substantiate the allegations made by them in their reply to the petition. He has fully contradicted this allegation. From his statement it is clear that the petitioner had absented himself from duty *w.e.f.* 30-3-1982. He was given a notice to explain his position but he refused to accept this notice. A publication was issued to Daily Tribune the copy of which is EXR-4 A. The petitioner had refused for duty nor he has furnished his explanation. The reaspondent management had not other alternative except to terminate his services. They passed the order of termination on this publication published in the Daily Tribune on 4-5-198.5

The petitioner has not appeared to rebut the evidence of the respondent management led against him. In view of the evidence recorded, it is established that the petitioner wilfully absented from duty and respondent management gave him proper opportunity to be heard and explain his position, but he failed to do so. The respondent management had no other alternative than to terminate his services. The petitioner had not appeared in this court after 30-3-1986. From the conduct of the petitioner, it appears that he had abandoned on his own accord. He has wilfully absented from duty. The termination of the services of the petitioner by the respondent management is, therefore, justified.

I, therefore, decide this issue accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner.

RELIEF

The services of the petitioner have been terminated by the respondent management because of his wilful absence from duty. This termination is by way punishment. It is not retrenchment. The petitioner is not entitled to any service benefits for the service rendered by him with the respondent management.

In view of these considerations, the petitioner is not entitled to any relief. Let this award be punished in accordance with law. No order as to cost of these proceedings.

S. S. KANWAR,
Presiding Officer,
Labour Court.
13-7-1986.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HIMACHAL PRADESH

Reference No. 466/85

Himachal Hotel Mazdoor, Lal Jhanda Union, Shimla ..Petitioner.

Versus

(*i*) Management of Hotel and Restaurants Association,
(*ii*) Chai Chat Dhabe Owners' Association, Shimla. } ..Respondents.

Shri Dhani Ram, for the petitioners.

None for the respondents.

AWARD

A dispute between the Workmen and the Managements of Hotels and Chai Chat Dhaba shops has been referred to this Tribunal. Various demands have been raised by the Union of the workmen. The following question has been referred to this Tribunal *vide* Notification, dated 2-7-1985:—

"Whether the demand notice served on (*i*) The Hotel and Restaurants Association, Himland Hotel, Shimla, (*ii*) Chai Chat Dhaba Owners' Association Sharma Dhaba, Middle Bazar, Shimla by the General Secretary, Himachal Hotel Mazdoor, Lal Jhanda Union, Shimla, regarding increase in wages in view of the revised minimum rates of wages is justified and whether the demand regarding Medical Allowance/Reimbursement of full expenses of treatment incurred by the workmen or their families is justified ?".

The Hotel Mazdoor Union and the Union of the Hoteliers and shops has arrived at a settlement and a written settlement has been executed. The photostat copy of the same has been filed in this court on 1-9-1985. The workmen employed in the hotels had actually gone on strike and some benefits had been allowed to them by the management of Hotels. The Hotel Union has agreed that they would pay the minimum wages to their workmen as fixed by the Government under the Minimum Wages Act from time to time.

The Chai Chat Dhaba Owners' Association has filed a reply to the claim petition. Shri Romesh Chand, Authorised Representative of the Respondent No. II (Chai Chat Dhaba Owners' Association) appeared on 30-3-1986 and has stated that their union is also ready to give their workmen the minimum wages. I have heard the authorised representatives of the parties. However Shri Romesh Chand, General Secretary of Respondent No. II is not present today. In view of the settlement, the copy of which has been filed in this court on 1-9-1985 and in view of the statement made in this court by Shri Romesh Chand, Respondent No. II, no dispute survives and the reference made to this Tribunal need not be answered. The respondent will pay to their workmen the minimum wages as fixed under the Minimum Wages Act from time to time. This order may be treated as an award in this case and may be published in the Government Gazette. The parties are left to bear their own cost.

S. S. KANWAR,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Himachal Pradesh. 29-6-1986.

BEFORE SHRI S. S. KANWAR, PERSIDING OFFICER, LABOUR COURT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-2

Case No. 515/85

United Vanaspati Mazdoor Union ..Petitioner.

Versus

Management of M/s United Vanaspati Pvt. Ltd. Manjholi, District Solan ..Respondent.

Shri Pyare Lal Bery, Authorised Representative of the petitioner.

Shri R. L. Gupta, Authorised Representative of the respondent.

AWARD

The dispute between the United Vanaspati Mazdoor Union and the Management of M/s United Vanaspati Pvt. Ltd., Manjholi, District Solan has been referred to this court *vide* Notification, dated 6-8-1985. Both the parties have appeared and filed their claim petitions. Today, authorised representatives of both the parties made statements, which have separately been recorded stating that they do not want to persue the reference made to this court. In view of the statements, I find that there is no dispute in existence between the parties. The proceedings are, therefore, dropped. This order may be treated as an award and further action be taken in accordance with law. No order as to costs.

S. S. KANWAR,
Presiding Officer,
Labour Court. 27-7-1986.

BEFORE SHRI S. S. KANWAR, PERSIDING OFFICER, LABOUR COURT, HIMACHAL PRADESH

Case No. 583/85

Shri Tarun Kumar Bhandari ..Petitioner.

Versus

Himachal Pradesh Civil Supplies Corporation, Shimla ..Respondent.

Shri Pyare Lal Bery, Authorised Representative of the petitioner.

Shri M. R. Panta, Authorised Representative of the respondent.

AWARD

The parties have arrived at a settlement. The terms of the settlement arrived at, has been reduced into writing by the parties. These have been signed by the petitioner and the respondent management on 28-7-1986. The written agreement has been filed in court and is marked as EXP-1. In view of this settlement, I award that the order dated 5-5-1984 passed by the respondent management terminating the service of the petitioner are quashed and set aside. As a consequence thereof, the petitioner will be deemed to be in service inspite of this termination order. However, the petitioner forgoes his right for his past wages w.e.f 5-5-1984 to 26-7-1985. The service of the petitioner from 5-5-1984 to 26-7-1985 will not be available to him for the purpose of fixing his seniority and for the purpose of claculation of the increment and other service benefits. The petitioner will be deemed to be in service w.e.f. 26-7-1985 and will be entitled to all the service benefits including total emoluments to which he is entitle to. The period w.e.f. 5-5-1984 to 26-7-1985 will not be treated as break in service for the purpose of calculating the gratuity and retrenchment benefits. The petitioner will report for duty with immediate effect at the place of his posting at Retail Shop, Mandi, through the Area Manager, Mandi. The Area Manager will post him wherever the vacancy is available for the adjustment of the petitioner in Mandi Town. He will not be shifted from Mandi during the usual period of stay of an employee of the Corporation, which I understand is three years. The settlement EXP-1 will form part of this award. The copy of this award may be given to the parties free of cost immediately as it is required for the implementation of this award. The parties are left to bear their own cost of these proceedings.

Announced.
31-8-1986.

Sd/-
(*Persiding Officer*)
Labour Court. 31-8-86.

SETTLEMENT ARRIVED AT ON 28-7-1986 BETWEEN SHRI TARUN KUMAR BHANDARI, EX-SALE DEPOT INCHARGE RETAIL SHOP MANDI AND THE HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., SHIMLA-6

Terms of agreement :

1. Industrial disputes pending before Honorable Labour Court, Himachal Pradesh under reference No. 583 of 1985 is hereby withdrawn by the petitioner *i.e.* Shri Tarun Kumarr Bhandari ex-SDI due to settlement arrived at.

2. The management agrees to withdraw the termination orders of Shri Tarun Kumar Bhandari ex-SDI Retail Shop Mandi issued *vide* office order No. H.P. S. C. S.C. Admn. 13/89/82, dated 5-5-1984. Notwithstanding the withdrawal of termination order, Shri Tarun Kumar Bhandari will not be entitled to any salary or commission for the period from 5-5-1984 *i.e.* the termination of his services to the date preceding the date of reference to the Hon'ble Labour Court i.e. 26-7-1985. He will, however, be paid all inclusive salary and commission as minimum commission as admissible *w.e.f.* 27-7-1985.

3. The period from 5-5-1984 to 26-7-1985 will not constitute break in service. However, the period from the date of termination *i.e.* 5-5-1984 to 26-7-1985 will be deducted for the purposes of calculating seniority and other allied benefits.

4. The amount of arrears of pay will be calculated and remain with the management for the adjustment against shortages caused in Retail Shop Mandi, where Shri Tarun Kumar Bhandari was posted, as may finally be assessed after conducting proper disciplinary proceedings against him. The recovery of remaining amount of shortages will be effected from Shri Tarun Kumar Bhandari in instalments.

5. Any pending dues prior to the termination of Shri Tarun Kumar Bhandari shall be payable to him.

Signature of the parties :

1. Sd/- Shri Tarun Kumar Bhandari
   ex-SDI, Retail Shop, Mandi.
2. (M. R. Panta)
   For and on behalf of the H.P.S.C.S.C. Ltd., Shimla.
3. Witness: Sd/- P. L. Bery 28-7-86.
   Dated 28th July, 1986, Shimla-6.

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, SHIMLA

OFFICE ORDER

Shimla-4, *the* 13*th June*, 1986

No. DIC/SML/DEV/Shimla Billieard/1980.—Whereas the unit namely M/s Shimla Billieard Saloon, North Brook Terrace, The Mall, Shimla is registered with the Department of Industries as SSI unit *vide* registration number SML/REGN/565, dated 2-5-1970;

And whereas proprietor of the said unit as requested *vide* his letter No. nil, dated 16-5-1986 that the unit has ceased functioning.

Hence in view of the position stated above the unit under reference is hereby De-registered with immediate effect and it shall not be entitled to any assistance for which SSI unit is eligible.

Sd/-
General Manager,
District Industries Centre, Shimla-4.

IRRIGATION-CUM-PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Chamba, the 26th August, 1986

No. SE- IPH-CBA-48/86- 9750-53.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government at public expense for a public purpose, namely for construction of water supply scheme Karin, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose.

2. The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department, Chamba.

SPECIFICATION

District: CHAMBA *Tehsil*: CHAMBA

Village	Khasra No.	Area	
		Big.	Bis.
1	2	3	4
KARIN	519/1	0	15

A. K. BHATIA,
Superintending Engineer,
Irrigation-cum-*P.H. Circle*,
Chamba.

सुन्दरनगर, 23 अगस्त, 1986

संख्या : अ0 अ0 सि0 वृ0 सु 0 न0 का0 शा0 भू—अर्जन सु0/86-7493-97.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम मुहाल साई, तह0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उठाऊ सिचाई योजना साई-मरडवाहन पम्प हाऊस हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के

समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरण

जिला: मण्डी तहसील: सुन्दरनगर

गांव	खसरा नं0	बी0	बिस्वा	बिस्वांसी
1	2	3	4	5
साई/3	225/1	0	9	12 धानी अव्वल
	224/1	0	1	10 धानी अव्वल
	226/1	0	2	2 धानी अव्वल
	233/1	0	0	12 गैर मुमकीन खड्ड
किता .. 4		0	13	16

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत,
सुन्दर नगर ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Mandi, the 26th April, 1986

No. SEI-R-25-121/86-8097-8101.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government at public expenses for a public purpose namely for the construction of Sundernagar Maramasit road it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose.

The declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department, Mandi.

SPECIFICATION

District: MANDI *Tehsil*: SUNDERNAGER

Village	Khasra No.	Area in Big.	Bis.	Bisw.
1	2	3	4	5
DHARANDA	1686/2	0	18	11
	1689/1	0	0	3
	1691	0	1	14
	1100/2	0	4	4
	1100/1	0	11	15
	456	0	3	8
	492/1	0	1	8
	774/1	0	1	1
	540/1	0	0	15
	420/1	0	14	8
	451/1/1	0	1	4
	445/1	0	3	8
	455	0	1	18
	457	0	1	12
	458	0	0	15
	491/1	0	0	8
	493/1	0	1	1
	494/1	0	0	14
	421/1	0	4	16
	421/2	0	16	16
	444/1	1	0	12
	454/1	0	1	15
	459	0	4	14
	460	0	1	15
	490/1	0	0	18
	495/1	0	0	9
	512/1	0	0	12
	513/1	0	0	4
	452/1	0	2	2
	1625	0	5	8
	1329/1	0	5	5
	1332/1	0	7	10
	1333/1	0	1	14
	1363/2	0	9	14
	1330/2	0	11	15
	1331/1	0	4	4
	1362/1	0	1	4
	1682/2	0	7	7
	1685/1	1	16	1
	1635/2	0	1	12
	1640/2	0	1	12
	742/1	0	4	0
	1904/743/1	0	1	8
	1759/744/1	0	3	1
	1903/743/1	0	3	3
	1626/1	0	2	14
	1089/	0	0	11
	1096/1	0	2	2
	1097/1	0	2	1
	1090/1	0	4	16
	851/1	0	1	2
	1101/1	0	0	7
	1103/1	0	0	14
	1115/1	0	2	1
	1308/1	0	11	12
	1348/2	0	3	12
	1350/1	0	1	8
	1349/2	0	5	10
	52/1	0	0	10
	1633/1	0	16	13
	1636/1	0	3	3
	1628/1	0	3	13
	1629/1	0	2	12
	710/2	0	13	16
	1692/1	0	0	15
	1292/2	1	2	1
	1137	1	12	4
	1139/1	0	3	8
	745/2	0	10	14
	746/1	0	11	4
	747/2	0	8	2
	775/1	1	0	6
	776/1	0	15	18
	796/1	0	0	12
	797/1	0	2	16
	797/3	0	2	7
	799/1	0	6	19
	803/1	0	7	10
	1813/856/1	0	2	17
	858/1	0	3	1
	55/1	0	6	0
	446/2	0	12	11
	449/1	0	3	4
	831/1	0	0	8
	1814/856/1	0	2	10
	1814/856/2	0	14	3
	1831/265/1	0	3	18
	417/1	0	12	4
	1117/1	0	0	14
	416/1	0	9	4
	850/1	0	0	16
	1114/1	0	3	8
	843/1	0	1	6
	849/1	0	0	16
	1102/1	0	1	12
	1118/1	0	1	7
	414/2	1	2	8
	848/1	0	1	7
	1116/1	0	1	19
	1121/1	0	2	5
	1119/1	0	4	18
	56/1	0	4	0
	57	0	6	4

1	2	3	4	5
	58/1	0	5	4
	407/1	0	5	7
	411/1	0	1	0
	415/1	0	3	3
	841/1	0	0	16
	842/1	0	0	12
	60/1	0	3	1
	410	0	0	16
	413/1	0	4	6
	853/1	0	4	3
	461/2	2	6	0
	852/1	0	1	4
	852/3	0	13	16
	711/2	0	1	8
	1298/1	0	6	13
	1298/2	0	3	18
	515/1	0	4	7
	539/1	0	10	0
	1861/1347/1/2	0	3	12
	1138/1	0	10	15
	1358/1	1	5	8
	1219/2	0	8	14
Kitta ..	125	36	17	13

T. L. SHARMA,
Superintending Engineer,
1st Circle, H.P.P.W.D., Mandi.

Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that land is likely to be acquired to be taken by the Government at the public expense for a public purpose*. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the said* purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H. P. P. W. D., Solan.

**Construction of Deothi-Delgi road.*

No. SE-III-G(R)61-9/85-18520-23.

Solan, the 27th January, 1986.

SPECIFICATION

District: SOLAN *Tehsil:* SOLAN

Village 1	Khasra No. 2	Area Big. 3	Bis 4
BARA	2	0	8
	1	112	19
	7	0	2
	12	5	5
	15	5	1
	17	5	1
	19	9	13
	47	0	12
	48	35	18
Kitta ..	9	174	19
KOTHI	376	2	0
	377	1	5
	415	3	6
	380	0	10
	381	0	11
	382	0	10
	383	0	3
	384	0	4
	385	0	4
	386	3	1
	387	0	13
	389	0	9
	390	7	5
	388	1	12
	734	8	10
	735	3	15
	736	3	4
	737	2	7
	733	7	13
	391	0	5
	729	6	19
	730	1	13
	731	1	15
	732	1	13
	723	6	11
	724	1	9
	729	6	19
	722	10	5
	721	8	10
	710	14	16
	709	3	19
	708	3	12
	707	4	16
	706	3	18
	705	0	15
	704	0	17
	703	0	17
	702	2	5
	701	1	16
	700	1	7
	411	1	1
	698	1	10
	699	0	10
	696	2	8
	697	2	1
	694	2	0
	693	1	17
	692	3	6
	691	3	8
	690	0	18
	687	19	14
	688	2	8
	686	3	16
	685	4	1
	684	3	2
	683	4	19
	695	2	9
	533	1	4
	534	2	9
	666	5	15
	532	2	15
	535	3	0
	656	0	14
	657	0	10
	658	0	6
	659	2	12
	660	3	11
	661	4	2
	662	11	10
	655	2	6
	652	1	9
	651	9	5
	640	1	12
	641	2	9
	642	6	1
	643	7	10
	644	7	1
	645	1	5
	636	6	17
	637	7	2
	635	3	9
	689	5	0
	638	279	15
Kitta ..	83	570	16

1	2	3	4
	837	0	7
	838	1	3
	847	0	7
	834	1	15
	832	5	3
	831	1	10
	307	1	7
	308	0	8
	309	1	9
	788	1	7
	1	260	18
Kitta ..	61	1478	6

*Construction of Jamli-Jai-Nagar road.

No. SE-III-G(R)61-13/86-5441-44.

Solan, the 14th July, 1986.

MALON KHAS.	622/1	1	7
	625/1	0	6
	628/1	0	3
	466/1	0	5
	649/1	0	4
	653/1	0	7
	654/1	0	19
	1251/656/1	1	3
	1251/656/2	0	3
	1307/1249/656/1	0	4
	1328/1249/656/1	1	11
	712	0	3
	714	0	4
	713	0	1
	710/1	0	4
	1247/715/1	0	7
	716/1	0	12
	716/2	0	1
	717/1	0	14
	718	0	4
	802/1	0	15
	1288/804/1	0	5
	801/1	0	1
	803/1	0	1
	803/2	0	1
	931/1	0	13
	935/1	2	3
	935/2	0	6
	935/3	0	6
	935/4	0	4
	1290/936/1	1	3
	933/1	0	3
	937/1	0	2
	937/2	0	13
	937/3	0	8
	938	0	7
	939/1	0	4
	939/2	0	1
	944/1	0	5
	949/1	0	4
	948/1	0	4
	971/1	0	7
	972/1	0	9
	1007/1/1	8	5
	1007/1/2	1	0
	1007/2/1	2	6
	1008/1	1	7
Kitta ..	47	31	5
PATTA	121/110	11	8
	120/110	0	9
	113	6	13
	115	0	4
	114	0	14
	111	1	2
Kitta ..	6	20	10

*Construction of Ramshehar Suna-Nerli road.

No. SE-III-G(R)-61-13/85-5434-37.

Solan, the 14th July, 1986.

BEHLAM	446/1	0	2
	448	0	2
	449	0	8
	450	0	3
	465	0	2
	435	0	9
	437	0	6
	438	0	7
	434	0	3
	418	0	5
	419	0	9
	417	0	2
	416	0	3
	430	0	2
	429	0	3
	423	0	8
	432	0	2
	431	0	2
	517	0	3
	518	0	6
	519	0	8
	520	0	3
	523	0	5
	512	0	8
	513	0	12
	516	0	4
	524	1	2
	525	0	19
	544	1	4
	545	1	11
	549	0	9
	547	0	3
	548	0	1
	569	0	4
	570	0	2
	571	0	2
	572	0	6
	573	0	3
	574	0	2
	575	0	2
	597	0	14
	598	0	1
	610	1	2
	612	0	11
	590	0	6
	591	0	1
	593	0	2
	592	0	1
	594	0	1
	595	0	2
	596	0	1
	675	0	3
	676	0	2
	677	0	1
	678	1	0
	627	0	6
	693	3	14
	694	0	9
	695	0	17
	696	3	5
	699	2	9
	705	3	19
	706	3	6
	707	3	14
	130	9	14
	131	12	7
	66	8	19
	68	6	2
	69	2	8
	70	7	2
	813	10	0
	781	10	0
	660	0	2
	663	0	11
	664	0	4

1	2	3	4
	661	0	3
	651	0	3
	659	0	7
	666	0	2
	665	1	10
	641	0	3
	642	1	11
Kitta ..	82	105	12
SAI	766/672	477	2
	114	6	1
	115	1	6
	116	0	11
	117	0	16
	118	0	5
	120	0	5
	121	0	8
	122	0	5
	123	0	1
	124	7	4
	149	0	5
	150	0	6
	151	0	5
	152	0	2
	153	0	6
	154	0	3
	155	0	6
	200	0	3
	162	0	11
	199	0	2
	196	0	5
	198	0	7
	191	0	7
	190	0	17
	189	0	3
	188	1	0
	184	1	1
	208	1	12
	209	0	3
	210	0	14
	211	0	3
	339	0	11
	340	0	2
	341	0	8
	342	0	15
	344	1	16
	363	0	11
	364	0	5
	380	2	9
	565	2	13
	373	0	4
	366	0	2
	367	0	8
	360	1	11
	506	0	2
	507	0	6
	508	0	10
	509	0	2
	510	0	7
	307	0	5
	308	0	7
	309	4	16
	305	1	8
	295	0	1
	294	0	17
	294/1	0	1
	296	0	5
	297	0	3
	298	0	3
	299	0	1
	300	1	2
	283	2	2
	731	23	0
	736	5	7
	737	8	5
	738	3	9
	739	6	17
	345	0	12
Kitta ..	69	575	14

1	2	3	4
CHAROG	493	0	14
	498	79	14
	274	0	5
	275	0	4
	276	0	11
	390	0	5
	391	0	12
	756	0	17
	392	1	5
	393	0	12
	388	0	15
	389	0	7
	395	2	95
	384	1	8
	360	2	8
	364	0	18
	365	0	5
	366	0	1
	367	0	2
	383	0	4
	368	1	2
	312	1	1
	313	0	19
	314	0	6
	315	0	2
	316	0	9
	521	0	4
	523	0	18
	5 9	0	14
	818	3	17
	819	0	8
	817	2	4
	802	2	14
	803	0	2
	759	2	19
	796	0	2
	797	0	10
	798	1	15
	799	1	14
	794	1	0
	781	0	8
	782	0	4
	783	2	0
	786	3	18
	522	3	14
	381	1	3
	805	0	17
	755	2	12
Kitta ..	48	131	12
DOLRU	1	68	10
	1/1	8	2
	3	0	14
	2	5	16
	4	2	4
	796/645	5	19
	646	1	7
	644	3	8
	643	1	4
	655	0	13
	667	0	2
	668	0	3
	665	0	2
	666	0	12
	664	0	12
	662	1	7
	675	4	9
	709	4	14
	711	5	19
	710	0	7
	708	2	4
	764	1	15
	763	1	18
Kitta ..	23	122	1
NERLI CHANALA	40	0	10
	41	1	14
	59	0	4
	60	0	5

1	2	3	4
	62	0	2
	63	0	1
	50	0	7
	49	1	10
	69	0	7
	83	88	7
	300	4	1
	335	0	14
	334	4	16
	305	7	16
	321	3	18
	328	0	5
	329	2	3
	324	1	14
	322	2	7
	279	13	13
	278	2	0
	275	4	1
	285	3	4
	287	3	6
	274	24	17
	288	5	17
	273	12	9
	554	3	4
	553	0	12
	238	58	0
	556	17	3
	558	17	5
	560	11	17
	570/559	20	3
Kitta ..	34	348	12
Doli	1	18	10
	2	0	17
	39	2	14
	41	8	19
	40	35	12
	56	10	19
	63	0	12
	64	0	17
	65	1	14
	61	2	17
	62	0	9
	66	2	6
	92	1	4
	93	0	18
	91	1	11
	90	1	4
	203	1	11
	199	6	15
	204	1	10
	205	2	9
	222	3	12
	226	1	16
	223	2	13
	224	0	10
	225	0	6
	313/238	20	18
	248	2	18
	243	3	2
	242	8	15
	244	11	3
	241	11	15
	235	2	0
Kitta ..	32	172	16

Construction of Panjehra-Gullarwala road.

No. SE-III-G(R)-61-13/86-5608-11.

Solan, the 18th July, 1986.

BAROONA	365	0	5

Construction of Approach road to Kundlu Bridge.

No. SE-III-G(R)-61-13/86-5590-93.

Solan, the 8th July, 1986.

RIA	545/1	0	1
	544	0	5
	548	0	10
	547/1	0	3
	558	1	11
	572/1	0	7
	570/1	0	6
	571/1	0	11
	573/1	0	6
	574/1	0	1
	575	0	4
	679/1	2	4
	559/1	0	13
	762/1	0	5
	569/1	0	6
	895/539/1	0	8
	919/723	0	11
	920/724	0	2
	922/724	0	3
	924/725	0	3
	894/539/1	0	6
Kitta ..	21	9	6
BAGLODH	3/1	0	9
	42/1/1	0	3
Kitta ..	2	0	12
KHARUNI	10/1	2	6
	13/1	0	14
	13/2	0	9
	14/1	0	8
	11/1	0	13
Kitta ..	5	4	10
JAGATPUR	414/245/1	1	13
	415/245/1	2	10
Kitta ..	2	4	3

S. K. GAUTAM,
Superintending Engineer,
3rd Circle, H.P.P.W.D., Solan.

भाग 3.—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनैन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 2 अगस्त, 1986

संख्या: लोक निर्माण (ख) 11-1(1) 1/78.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जल (प्रदूषण-निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड से विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण-निवारण एवं नियन्त्रण) नियम, 1977 जो कि हिमाचल प्रदेश राजपत्र असाधारण तारीख 12 नवम्बर, 1977 में लोक निर्माण विभाग अधिसूचना संख्या 14-7-74 पी0 डब्ल्यू (बी), तारीख 14 सितम्बर, 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित नियमों को पुनः संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त

नाम हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1986 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे

अध्याय 7 का समावेश

अध्याय 7

नियम के भाग 28 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी की स्थापना

33. अपीलीय प्राधिकारी भाग 28 (1) तथा (2).—(1) धारा 28 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी वित्तायुक्त होगा जो सरकार द्वारा नामांकित एक होगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी के बैठने का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जायेगा और वहीं इसके लिए सचिवालीय सेवा उपलब्ध करवायेगा। अपीलीय प्राधिकारी का मुख्यालय वहीं होगा जो बोर्ड का मुख्यालय होगा। प्राधिकारी की बैठकें सदैव मुख्यालय में ही हुआ करेंगी लेकिन यदि अपीलीय प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि किसी अपील की सुनवाई के दौरान स्थान पर जाना आवश्यक है तो वह स्थान पर भी अपनी बैठकें कर सकता है यदि स्थान का दौरा किया जाता है तो प्राधिकारी स्थानीय निरीक्षण के दौरान लिए गए जायजे की संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करेगा और यह टिप्पणी मामले के रिकार्ड का एक भाग होगी।

(3) प्राधिकारी की बैठकों के सम्बन्ध में किए जाने वाली यात्रा के लिए अपीलीय प्राधिकारी उसी दर से यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा जो कि उसे वित्तायुक्त की हैसीयत प्राप्त होते हैं और इस सम्बन्ध में आने वाले खर्च को उसी शीर्ष के नामे डाला जायेगा जिस में कि सरकारी कर्मचारी के नाते उसके यात्रा खर्च को डाला जाता है।

(4) इस नियम के उप-नियम तीन के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी को मिलने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नहीं होगा।

34. भाग 28(3) के अन्तर्गत अपीलीय ज्ञापन.—(1) बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रभावित वर्ग को प्रत्येक अपील के लिए फार्म (15) भरना होगा।

(2) अपील के इच्छुक प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को अलग रूप में तथा अपने नाम से अपील करनी होगी और संयुक्त अपील के मामले में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से की जाने वाली अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) (अ) प्रत्येक अपील में निम्नलिखित का होना आवश्यक है:—

(1) अपील लिखित रूप में हो।

(2) अपील कर्ता अपना नाम व पता और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो उसका उल्लेख।

(3) उस तिथि का उल्लेख जिस दिन अपील कर्ता को उसे उन आदेशों के बारे में अवगत कराया गया हो, जिनके विरुद्ध वह अपील की गई है।

(4) अपील की पुष्टि के लिए प्रभावित व्यक्ति को मामले के तथ्यों तथा आधार के बारे में स्पष्ट ब्यान देने होंगे।

(5) जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई हो उसे सारांश में लिखना।

(6) अपील कर्ता या उस द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को इसे लिखित रूप में प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित करना होगा।

(4) प्रत्येक अपील के साथ:—

(1) उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसके विरुद्ध वह अपील कर रहा है।

(2) अपील कर्ता को उस आवेदन-पत्र की प्रति साथ मंगानी होगी जिसमें उसने बोर्ड द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी हो।

(3) प्रतिवेदन से सम्बन्ध अन्य कोई प्रपत्र।

(5) प्रत्येक अपील कर्ता को बोर्ड के कार्यालय में नियम 35 के उप-नियम (7) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा और इस सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त रसीद की प्रमाणिक प्रति अपील के साथ संलग्न करनी होगी।

जिस अपील के साथ रसीद की यह प्रति संलग्न नहीं होगी उसे अपीलीय प्राधिकारी स्वीकार नहीं करेगा।

(6) अपील के प्रत्येक ज्ञापन की चार प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। अपील कर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिक रूप में या बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अपीलीय प्राधिकारी को भेजा जाना होगा यदि अपील का ज्ञापन प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में उस प्रतिनिधि की नियुक्ति के बारे में प्राधिकृत किए जाने का पत्र कानून द्वारा अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दिया जाना होगा।

(7) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी उस पर प्रस्तुत किए जाने वाली या डाक द्वारा प्राप्त होने की और अपील कर्ता या डाक उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसने उसे प्रस्तुत किया हो, का नाम अंकित करेगा।

35. अपीलों के निपटान के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली पद्धति धारा 28(3).—(1) अपील के ज्ञापन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी इस की सुनवाई के लिए जितनी भी जल्दी हो सके, तिथि निर्धारित करेगा और फार्म 16 पर अपील कर्ता और सदस्य-सचिव को सूचित करेगा। सदस्य-सचिव को इस सम्बन्ध में सूचित करते समय उसे अपील के ज्ञापन की एक प्रति भेजी जायेगी और उससे उस अपील से सम्बन्द्ध सभी आवश्यक कागजात अपीलीय प्राधिकारी को भेजने के लिए कहा जायेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी को किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है तो वह अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपील कर्ता या सदस्य-सचिव से और अधिक सामग्री जो वह उपयुक्त समझे भेजने के लिए कह सकता है। ऐसी सामग्री रिकार्ड का भाग होगी जिस व्यक्ति से इस प्रकार का रिकार्ड प्राप्त होता है उसे जब तक इसकी जांच-पड़ताल (पढ़ने) और इसके किसी ऐसे मुद्दे जो कि वादी के हितों के विरुद्ध हों, के खिलाफ अपील देने का अवसर नहीं दिया जाता जब तक इसे रिकार्ड का भाग नहीं माना जायेगा।

(3) मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि या उस तिथि को जिसके लिए प्रार्थना की सुनवाई स्थगित की गई हो, अपील कर्ता या उस द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उस दिन उपस्थित नहीं होता है तो अपील खारिज की जा सकती है।

(4) यदि अपील को उप-नियम (3) के अन्तर्गत खारिज कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपील के खारिज होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील को फिर से बहाल करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपील कर्ता को मामले की सुनवाई की तिथि के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है या किसी ऐसे अन्य कारण से उपस्थित नहीं हो सका है जो कि अपीलीय प्राधिकारी के विचार से पर्याप्त प्रमाण हो सकता है तो अपीलीय प्राधिकारी ऐसी शर्तों जैसा वह उपयुक्त समझे के अन्तर्गत अपील को फिर से बहाल कर सकता है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी के अपील पर पारित आदेश लिखित रूप में होंगे और इसके निवारण सम्बन्धी विषय, निर्णय तथा इस निर्णय के आदेशों का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(6) अपील कर्ता को अपील में पारित आदेशों की प्रति अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी और उसकी एक प्रति सदस्य-सचिव को भी भेजी जायेगी।

(7) ग्रामीण पंचायत के मामले में जिसके लिए भाग 28 के अन्तर्गत अपील भरने के लिए प्रत्येक मामले का शुल्क 1,000 रुपये होगा जबकि अन्य मामलों में यह शुल्क 1,500 रुपये प्रति मामला होगा। यह शुल्क बोर्ड की निधि का भाग माना जायेगा।

फार्म 15 तथा 16 का समावेश.—(3) उक्त नियमों से फार्म 14 के अतिरिक्त निम्नलिखित नए फार्म 15 तथा 16 जोड़े जायेंगे, नामतः—

फार्म 15

[देखें नियम 34(1)]

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) नियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) के भाग 28 के अन्तर्गत अपील का फार्म।

जो लागु न हो उसे काट दें।

यहां प्राधिकारी का नाम व पद निर्दिष्ट करें.....
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) नियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) के भाग 28 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी।

श्री.....(वादी) के प्रतिवेदन का ज्ञापन।

बनाम

हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण राज्य बोर्ड (प्रतिवादी)

श्री.....निवास.....जिला.....के आदेश.....दिनांक.....के विरुद्ध अपील।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा पारित निम्नानुसारः—

(1) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) के अन्तर्गत.....कम्पनी/निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि के सम्बन्ध में आदेश में निर्दिष्ट शर्त (शर्तों) के अनुसार नीचे दर्शाए विवरणानुसार प्रार्थी को स्वीकृति दी जाती है।

(अ) संघ/कम्पनी/निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति का नामः—

(ब) स्थान
(स) वार्ड संख्या
(द) गली का नाम तथा
(य) जिला

विचाराधीन स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न की जाती हैः—

(2) मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं:

(यहां मामले के सम्बन्ध में संक्षिप्त तथ्य दर्शाएं)

.....

.....

.....

.....

(3) वह आधार जिस पर अपील कर्ता अपील कर रहा है निम्नानुसार है: (वह आधार बताएं जिन पर अपील की जा रही है)

(1).....

(2).....

(3).....

(4) उक्त दिए गए तथ्यों के आधार पर अपील कर्ता सादर प्रार्थना करता है कि आवेदन के शुल्क के रूप में पेश.....रसीद संख्या.....दिनांक.....के अन्तर्गत अदा कर दिए गए हैं और अदायगी के प्रमाण के लिए इस की सत्यापित प्रति संलग्न की जाती है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)
व्यवसाय .....
पता .....

.....

दिनांक.....

प्रमाणीकरण

मैं.....(अपील कर्ता का नाम) उक्त अपील के ज्ञापन में या प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाणित करता हूं कि जो भी कुछ इसमें दर्शाया गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
(स्पष्ट अक्षरों में)
व्यवसाय .....
पता .....
.....
.....

फार्म 16

सूचना फार्म

यहां प्राधिकारी का नाम व पद निर्दिष्ट करें.....
.....
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) के भाग 28(1) के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी श्री.....द्वारा
(यहां अपील कर्ता का नाम तथा पता लिखें)

जल व (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का संसद अधिनियम संख्या 6) के अन्तर्गत दायर अपील संख्या.....198.....के मामले में।

बनाम

जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड.....प्रतिवादी जबकि श्री.....
.....
.....
(यहां अपील प्रार्थी का नाम और पता भरें) ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश.....दिनांक.....के विरुद्ध अपील का ज्ञापन दायर किया है।

1. और जब कि नियम के भाग 28 के उप-भाग (4) के अन्तर्गत वादियों को सुनवाई के लिए इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवसर दिया जाना वांछित है:

जो लागू न हो उसे काट दें।

अब, इसलिए कृपया ध्यान में रखें कि प्राधिकारी में उक्त अपील के सम्बन्ध में सुनवाई की तिथि.....निर्धारित की है। इस पर सुनवाई बोर्ड के शिमला स्थित कार्यालय में.....बजे प्रातः-सायं की जायेगी।

आपको इस सम्बन्ध में निश्चित समय, तिथि तथा स्थान पर प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के

माध्यम से अपने मामले को स्पष्ट करने के लिये बुलाया जाता है। कृपया ध्यान रहे कि सुनवाई वाले दिन इस प्राधिकरण संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त कारण दिए बगैर आपकी ओर से व्यक्तिगत अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुपस्थित रहती है तो आपकी अपील को खारिज कर दिया जायेगा अथवा एक तरफा निर्णय किया जायेगा मेरे हस्ताक्षरों तथा अपीलीय प्राधिकारी की मोहर से आज दिनांक ..... 198 ..... को जारी किया गया।

अपीलीय प्राधिकारी।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
सचिव।

शिमला-2, 2 अगस्त, 1986

संख्या लोक निर्माण (ख) 11-1 (1) 1/78.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जल (व प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड के परामर्श से, लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14-7/74-पी0 डब्ल्यू (बी) तारीख 14 सितम्बर, 1977 के साथ तारीख 12 नवम्बर, 1977 के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1977 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Water (Prevention and Control of Pollution) (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Addition of new Chapter XII.*—After rule 32 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1977 (hereinafter called the "said rule" the following new Chapter XII shall be added, namely:—

CHAPTER XII

ESTABLISHMENT OF APPELLATE AUTHORITY UNDER SECTION 28 OF THE ACT

33. *Appellate Authority Section* 28 (1) and (2).—(1) The Appellate Authority under section 28 shall consist of a Financial Commissioner to be nominated by the Government.

(2) The Board will make arrangement for the sitting of the Appellate Authority and will also provide Secretarial services to it. The Headquarters of the Appellate Authority shall be the same as the Headquarter of the Board. The sittings of the Authority shall always be held at the Headquarters except that, if during the hearing of an appeal a visit to the site is considered necessary by the Appellate Authority, it may hold a sitting at the site. In case of a visit to the site, the Authority shall prepare a brief note of the observations make during the local inspection and this note shall form part of the record of the case.

(3) The Appellate Authority shall, for a journey undertaken in connection with a sitting of the Authority, be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to him in his capacity as Financial Commissioner and the expenditure in relation thereto shall be debitable to the head of account to which his travelling expenses for journeys performed by him as a government servant are debitable.

(4) No remuneration other than that permissible under sub-rule (3) of this rule will be payable to the Appellate Authority.

34. *Memorandum of appeal under section* 28 (3).—(1) Every appeal against an order passed by the Board shall be filed by the aggrieved party in Form XV.

(2) Every aggrieved person preferring an appeal shall do so separately in his own name and no joint appeal made on behalf of more than one person shall be entertained by the Appellate Authority.

(3) (*a*) Every appeal shall—

(*i*) be in writing;
(*ii*) specify the name and address of the appellant and the date of the order appealed against;
(*iii*) specify the date on which the order appealed against was communicated to the appellant;
(*iv*) contain a clear statement of facts of the case and grounds relied upon by the aggrieved person in support of the appeal;
(*v*) State precisely the relief prayed for; and
(*vi*) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by the appellant in writing in this behalf.

(4) Every appeal shall be accompanied by—

(*i*) an authenticated copy of the order against which appeal is made;
(*ii*) a copy of the application made by the appellant on which the Board passed the order being impunged in the appeal.
(*iii*) any document relevant to the appeal.

(5) A fee as prescribed under sub-rule (7) of rule 35 shall be deposited by every appellant in the office of the Board and an authenticated copy of the receipt obtained therefor shall be annexed to every appeal. No appeal, which is not accompained by the aforesaid copy of the receipt, shall be entertained by the Appellate Authority.

(6) Every memorandum of appeal shall be submitted in quarduplicate and shall either be presented to the Appellate Authority by the appellant or his authorised agent in person or sent to such authority through the Board by registered post. When the memorandum of appeal is presented by an agent duly authorised by the appellant, it shall be accompanied by a letter of authority, written on a stamped paper of the value as required by law, appointing him as such agent.

(7) On receipt of the memorandum of appeal, the appellate authority shall endorse thereon the date of its presentation or receipt by post and the name of the appellant or his duly authorised agent presenting it, as the case may be.

35. *Procedure to be followed for disposal of the appeals. Section* 28 (3).—(1).—The Appellate Authority shall, as soon as may be after the memorandum of appeal is filed before it, fix a date for hearing of the appeal and give intimation of the same to the appellant and the Member-Secretary in Form XVI. While giving such intimation to the Member-Secretary a copy of the memorandum of appeal together with its enclosures shall also be called upon to send to the Appellate Auhority all the relevent records connected with the matter relating to the appeal.

(2) Where the material on record is insufficient to enable the Appellate Authority to come to a definite decision, it may take additional evidence and call for such further material from the appellant or the Member-Secretary, as it may deem fit. Such material shall form part of the record, but not before the party other than the one from whom such record has been received has been given an opportunity to persue such record and make a representation against anything contained therein which is deterimental to the interests of that party.

(3) Where on the date fixed for hearing or any date to which the hearing of the appeal may be adjourned, the appellant or his duly authorised agent does not appeal when the appeal is called for hearing, the appeal shall be liable to be dismissed.

(4) Where an appeal is dismissed under sub-rule (3), the appellant may, within 30 days from the dismissal of the appeal, apply to the Appellate Authority for the restoration of the appeal and if it is shown to the satisfaction of the Appellate Authority that the appellant had not received intimation of the date of hearing of the appeal or was prevented by any cause, sufficient in the opinion of the Appellate Authority, from appearing when the appeal was called for hearing, the Appellate Authority may restore the appeal on such terms as it may think fit.

(5) The order passed by the Appellate Authority on the appeal shall be in writing and shall state clearly the points before it for determination, the decision thereon, and the reasons for the decision.

(6) A copy of the the order passed in appeal shall be supplied by the Appellate Authority free of cost to the appellant and a copy thereof shall also be sent to the Mamber-Secretary.

(7) The fee payable for filing an appeal under section 28 shall be Rs. 1500/- in each case except in case of a village Panchayat in whose case the fee payable shall be Rs. 1000/- in each case. The fee will form part of the fund of the Board.

3. *Addition of Form XV and XVI.*—After Form XIV of the said rules, the following new forms XV and XVI shall be added, namely:—

FORM XV

[*See* Rule 34 (1)]

Form of appeal under section 28 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (Parliament Act No. 6 of 1974).

*Delete whichever is not applicable.

Before..... Appellate Authority constituted under Section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974).

*Here mention the name and designation of the authority.

Memorandum of appeal of Shri.....(*Applicant*)

Vs.

The Himachal Pradesh State Board for the Prevention and Control of Water Pollution.....(*Respondent*)

The appeal of Shri.....resident of..... District.....against the order.....dated....

Passed by the Himachal Pradesh State Board for the Prevention and Control of Water Pollution under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 showeth as follows:

(1) Under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974), the appellant has been granted consent subject to the condition (s) mentioned in the consent order in respect of the .....Company/Corporation/Municipality/Notified Area Committee etc. noted below:—

(*a*) Name of Plant/Company/Corporation/Municipality/Notified Area Committee.

(*b*) Place.
(*c*) Ward No.
(*d*) Name of the Street; and
(*e*) District.

A copy of the consent order in question is attached hereto.

(2) The facts of the case are as under :

(here briefly mention the facts of the case).

.....

.....

.....

(3) The grounds on which the appellant relies for the purpose of this appeal are as below:

(her mention the grounds on which appeal is made)

1. .....

2. .....

3. .....

(4) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prayeth that:—

An amount of Rs.....as fee for this appeal has been paid *vide* receipt No.....dated..... an authenticated copy of which is attached in proof of payment.

Signatures of the Appellant.
Name.....
(in block letters).
Occupation.....
Address.....
.....

Dated :.....,

VERIFICATION

I.....(Appellant's Name) in the above memorandum of appeal/or duly authorised agent do/does hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been hidden thereunder.

Signatures .....
Name.....
(in block letters)
Dated..... Occupation.....
Address.....

FORM XVI

FORM OF NOTICE

Before*.....Appellate Authority as constituted under section 28 (1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974).

Here mention the name and designation of the authority).

In the matter of appeal No.....198..... filed under section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974) by Shri.....(here mention the name and address of the Appellant).

Versus

The Himachal Pradesh State Board for the Prevention and Control of Water Pollution .. Respondent.

Whereas Shri.....
.....
.....
(here mention the name and address of the Appellant) has filed before this Authority a memorandum of appeal against the order.....dated..... passed by the Himachal Pradesh State Board for the Prevention and Control of Water Pollution under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas under sub-section (4) of section 28 of the Act, this Authority is required to give to the parties an opportunity of being heard.

*Delete whichever is not applicable.

Now, therefore, please take notice that this authority has fixed.....as the date of hearing of the

aforesaid appeal. The hearing shall take place at———— A.M./P.M. on that day in the office of the Board at Shimla. You are hereby called upon to appear before the authority at the appointed time, date and place, either in person or through a duly authorised agent, and explain your case.

Please take notice that failure on your part to appear on the day and time of hearing, either in person or through a duly authorised agent, without showing sufficient cause to the satisfaction of this authority, will make your appeal liable to be dismissed or decided *ex-parte*.

Given under the hand and seal of the Appellate Authority.....this..... day .....198....

Appellate Authority

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन : म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri S. S. Ahuja, District Judge, Hamirpur, Himachal Pradesh

Succ. Act Petition No.	..	8 of 1986
Date of institution	..	24-6-1986
Date of hearing	..	1-12-1986

(1) Smt. Basanti Devi widow, (2) Smt. Prabhi Devi 2nd widow, (3) Shri Ghamir Chand son (from 1st wife) of Shri Kanya Lal, resident of Sujanpur, Tappa Bhaleth, Tehsil and Distrct Hamirpur, (4) Smt. Shanti Devi d/o Shri Kanya Lal from 1st wife, Smt. Basanti Devi, resident of Krishna Nagar, Hamirpur, Himachal Pradesh ..*Petitioners.*

Versus

General public ..*Respondent.*

Application u/s 372 of the Indian Succession Act of 1925 for grant of Succession Certificate.

To

The general public.

Whereas the above noted petitioners have moved an application under the Indian Succession Act praying therin that Succession Certificate in respect of the assests/ debts of Shri Kanya Lal son of Shri Gurcharan, resident of Sujanpur who died on 25-11-1977 be issued in their favour.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public and kith and kins of the deceased to file their objection if any. before this court on or before 1-12-1986 at 10 A.M. either personally or through authorised agent, failing which Succession Certificate as sought to be issued shall be granted *ex-parte* in favour of the petitioners.

Given under my hand and the seal of this court today the 1st October, 1986.

Seal. S. S. AHUJA,
District Judge, Hamirpur.

In the Court of District Judge, Solan and Sirmaur Districts, Circuit at Solan, Himachal Pradesh

Smt. Usha Sharma wd/o Kumar Rohit, Kumar Mohit Kumari Priyanka daughter of Shri Pran Nath Sharma, resident of Shilli Road, Solan ..Petitioner.

Versus

The general public ..Respondent.

Petition No. 2-S/2 of 1986.

Instituted on 16-6-86

Petition under section 29 of the Gaurdian and Wards Act, 1890 for sale of minor's property.

To

The general public.

Whereas Smt. Usha Sharma widow of Shri Pran Nath, resident of Shilli Road, Solan has filed a petition under section 29 of the Guardian and Wards Act, 1890 for the sale of the property of the minors (petitioners No. 2 to 4) i. e. Khasra No. 1037/166 measuring 500 square meters at Mauza Ser, Solan and Khasra No. 1038/166 measuring 500 square metres situated at Ser, Distt. Solan.

Hence the notice is hereby given to the general public, kinsmen, relations of deceased and other interested persons that if any body has got any objection to the grant of the permission to sell the land described above (minors property) may file objections personally, through pleader or any authorised agent before this court on or before 14-11-86 at Solan, Himachal Pradash. In case no objection is received in this court the petition shall be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and seal of this court this 22nd day of September, 1986.

Seal. Sd/-
District Judge,
Solan and Sirmaur districts,
Circuit Court, Solan.

In the Court of Shri R. K. Mahajan, District Judge, Shimla

Case No. SA-8-S/2 of 1986

1. Smt. Leela Sharma wife of Parma Nand, r/o Ellerslie Villa Chaura Maidan, Shimla, 2. Shri Gobind Ram s/o Late Shri Chet Ram, r/o Mauza Ganeog, Tehsil and District, Shimla, Himachal Pradesh, 3. Shri Hem Chand Sharma s/o Shri Prem Singh Sharma, r/o Village Pahal, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh ..*Petitioners.*

Versus

The general public.

To

The general public.

Whereas in the above noted petition the petitioners have filed an application u/s 276 of the Indian Succession Act, 1925 for the grant of probate and letter of Administration Will dated 18-2-1984 executed by late Shri Neel Kanth Sharma in favour of the petitioners.

Notice is given to the general public that if anybody has objection for the grant of probate and letter of Administration of the Will dated 18-2-1984 in favour of the petitioners the same be filed in this court on 29-10-1986 failing which the petition will be heard as *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court this 25th day of September, 1986.

Seal. Sd/-
(*Superintendent*)
District Judge, Shimla, (H.P.)

In the Court of Shri O. P. Sharma, District Judge, Una, District Una, Himachal Pradesh

Guardian Act Petition No. 4 of 1986

Kewal Krishan s/o Babu Ram, caste Brahman, resident of Village Dathwara, P.S., Tehsil and District, Una
..*Petitioner.*

Versus

General public ..*Respondent.*

Notice to:
General public.

Whereas in the above noted case the petitioner has filed an application under section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act to sell the land of the minor Shri Ashani Kumar s/o Kewal Krishan petitioner.

Notice is hereby given to the general public, kinsmen, relation of the minor that if any body has got any objection to permit the applicant to sell the land (*i*) measuring 8 kanals being 1/6 share out of land measuring 48 kanals 1 marla hearing khewat No. 21, Khatauni No. 25 Khasra No. 1490/264 (1-14), 265 (1-1), 268 (5-10), 1492/269 (0-19), 274 (1-18), 309 (0-10), 311 (6-18), 312 (2-18), 346 (5-4), 1495/446 (7-16), 1496/446 (3-10), 778 (0-13), 779 (0-15), 802/1 (0-10), 802/4 (0-2), 804 (1-1), 805 (0-14), 806 (0-18), 810 (0-10), 839 (1-8), 843 (2-2), 899 (0-5), 952 (0-5), 1271 (1-0) and (*ii*) land measuring 3 marlas being 1/2 share out of land measuring 1 kanal 13 marlas bearing Khewat No. 22 Khatauni No. 26 Khasra No. 808 (1-13), and (*iii*) land measuring 1-19 marlas being 1/6 share out of land measuring 11 kanals 16 marlas bearing Khewat No. 105 Khatauni No. 117 khasra No. 776 (3-10), 802/2 (1-14), 807 (0-9), 813/2 (1-6) 825 (2-9), 838 (1-16), as entered in jamabandi 1983-84, situated in Village Jhamber, Hadbast No. 450, Tehsil and District Una, the same be filed in this court on or before 18-11-1986 at 10.00 A.M. failing to which the matter will be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court on 23-9-1986.

Seal. O. P. SHARMA,
District Judge, Una.

In the Court of Shri Indar Ram, Senior Sub-Juge, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh

In Re: Civil Misc. App. No. 11/86

Smt. Sakina w/o Jumman, r/o Village Baraur, Pargana Gudial, Tehsil Chamba, Himachal Pradesh
..*Applicant.*

Versus

Jumman s/o Bagu, r/o Village Kiri, Pargana Sahu, Tehsil Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh
..*Respondent.*

To

Jumman s/o Bagu, r/o Village Kiri, Pargana Sahu, Tehsil & District, Chamba, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named respondent is evading the service of summons and cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above said respondent to appear in this court on or before 29-11-1986 at 10.00 A.M. at Chamba personally or through an authorised agent or pleader to defend the case failing which the matter will be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court this 3rd day of October, 1986.

Seal. INDAR RAM,
Senior Sub-Judge, Chamba.

In the Court of Shri J. L. Gupta, Senior Sub-Judge exercising the powers of the District Judge under the Indian Succession Act, District Kinnaur

Devinder Singh s/o Late Shri Rattan Lal, r/o Village Roghi, Tehsil Kalpa, Himachal Pradesh ..*Plaintiff.*

Vs.

General public.

Petition u/s 372 of the Indian Succession Act, 1925

To

The general public.

Whereas the petitioner above named has filed an application for the grant of Succession Certificate in respect of the estate of his father Late Shri Rattan Lal.

Notice is hereby given to the general public and the next of the kins of deceased Rattan Lal inviting objections if any, from them to be filed in the court on or before 7-11-1986 at 10.00 A.M. failing which the petition shall be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of this court this 17th September, 1986.

Seal. J. L. GUPTA,
Senior Sub-Judge, Kinnaur at Kalpa.

In the Court of Shri V. K. Ahuja, Senior Sub-Judge, Una, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 116 of 1983

Joginder Singh son of Lachhman Singh, caste Rajput, r/o Village Kotla Kalan, P. S., Tehsil & District, Una
..*Plaintiff.*

Versus

1. Dhani Ram s/o Shiv Dyal, 2. Sukh Dev Raj s/o Dhani Ram, caste Brahman, r/o Village Kotla Kalan, Tehsil & District, Una, Himachal Pradesh.

Suit for possession

To

Jit Ram s/o Dhani Ram, r/o village Kotla Kalan, Tehsil and District, Una, Himachal Pradesh.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that above noted legal representative of deceased defendant Shri Dhani Ram cannot be served through ordinary process of service as summons issued to him received back unserved. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is issued against him to appear before this court on 12-11-1986 personally or through an authorised agent to plead his case failing which *ex-parte* proceeding will be taken against him.

Given under my hand and seal of the court this 23rd day of September, 1986.

Seal. V. K. AHUJA,
Senior Sub-Judge, Una.

In the Court of Shri M. R. Chauhan, Sub-Judge 1st Class, Amb, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh

Suit for recovery: 510 of 1985

Punjab and Sind Bank *Vs.* Duni Singh.

Punjab and Sind Bank, a body consituted under Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 having its Head Office at 21, Rajindra Place, New Delhi and one of its branch at Mubarakpur, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh through Shri

P. S. Kohli, Regional Manager and Shri A. S. Sohal, Branch Manager, Punjab and Sind Bank ..*Plaintiff.*

Versus

Shri Duni Singh son of Shri Bansi Ram, resident of Village Kaloh, Post Office Gagret, Tehsil Amb, District Una ..*Borrower.*

Suit for recovery

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant cannot be served in the ordinary course of service as summons issued several times in his name have come back unserved. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him required the above named defendant to appear in this court on 3-11-1986 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex-parte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and the seal of this court this 27th day of September, 1986.

Seal.

M. R. CHAUHAN,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

In the Court of Shri M. R. Chauhan, Sub-Judge 1st Class, Amb, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh

Suit for Recovery: 511 of 1985

Punjab And Sind Bank, body constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 having its Head Office at 21, Rajindra Place, New Delhi and one of its Branch at Mubarakpur, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh through Shri P. S. Kohli, Regional Manager and Shri A. S. Sohal, Branch Manager, Punjab and Sind Bank ..*Plaintiff*

Versus

Shri Om Parkash s/o Shri Karam Chand, resident of Village Karluhi, Tehsil Amb, District Una ..*Borrower.*

Suit for recovery

Whereas in the avove noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant cannot be served in the ordinary course of service as summons issued several times in his name has come back unserved. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him requiring the above named defendant to appear in this court on 3-11-1986 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex-parte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and the seal of the court today the 27th day of September, 1986.

Seal.

M. R. CHAUHAN,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

In the Court of Shri B. L. Soni, Sub-Judge 1st Class, Kangra

C.S. No. 74 of 1986

Kidar Nath *vs.* Naresh Kumar.

Versus: 1. Pardip Kumar s/o, 2. Smt. Krishna Devi, 3. Smt. Saroj Devi ds/o Dulo Ram, r/o Nagrota Bagwan, Tehsil Kangra, 4. Inder Parkash s/o Kali Dass, Cannara Bank Kotwali Bazar Dharamshala, 5. Smt. Chandar Kumari wd/o, 6. Nishu s/o Rajinder Lal (minor) through Smt. Chander Kumari his mother, 7. Smt. Birta Devi wd/o, 8. Parveen Kumar, 9. Pardeep Kumar ss/o , 10. Rita Rani d/o Panna Lal, 11. Smt.Satya Devi, 12. Smt. Kanchana Devi ds/o Kali Dass s/o Salig Ram, 13. Surinder Kumar s/o Dharam Chand, 14. Smt. Shanti Devi d/o Brij Lal, all residents of Nagrota Bagwan, Tehsil & District, Kangra ..*Defendants.*

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendants are evading the service of summons issued against them and cannot be served through an ordinary course of service. Hence this proclamation u/o 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above named defendants to appear before this court at 10.00 A.M. on 7-11-1986, personally, through an authorised agent or an advocate to defend their case failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and the seal of the court on this 22nd day of September, 1986.

Seal.

B. L. SONI,
Sub-Judge 1st Class,
Kangra, district Kangra.

In the Court of Shri Bhim Chand, Sub-Judge 1st Class (II) Nurpur, District Kangra

Civil Suit No. 8/86

Titled:

Braham Dass *vs.* Bimla Devi.

Versus: Raksha Devi d/o Shri Bishamber Dass, r/o Village Sihal, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh ..*defendant.*

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant cannot be served through an ordinary course of service. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued to the above named defendant to appear before this court on 5-11-1986, personally or through an authorised agent or pleader to defend his case, failing which the case will be heard and decided *ex-parte.*

Given under my hand and seal of this court on this 3rd October, 1986.

Seal.

BHIM CHAND,
Sub-Judge 1st Class (II),
Nurpur, District Kangra.

In the Court of Shri Bhim Chand, Sub-Judge 1st Class (II), Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 40/86
Titled

Gajinder Singh *vs.* Gurcharan Dass etc.

Suit for declaration

Versus: Jagjit Singh son of MotiSingh, r/o Mohal and Mauza Nawan Shahr (Tilokpur), Tehsil Nurpur. District Kangra *Prof. defendant.*

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant cannot be served through an ordinary course of service. Hence this proclamation under order 5, rule

20, C. P. C. is hereby issued to the above named defendant to appear before this court on 6-11-86. personally or through an authorised agent or pleader to defend his case, failing which the case will be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and seal of this court on 16th September, 1986.

Seal. BHIM CHAND,
Sub-Judge 1st Class (II), Nurpur, District Kangra.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri A. S. Jaswal, Sub-Judge 1st Class, Rampur-Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 65/1 of 1985

State Bank of India Rampur *versus* Shayam Lal and other

To

Vijay Kumar Aggarwal s/o Shri Prem Chand c/o M/s Prem Chand Yoginder Pal, Ahrti, Anaj Mandi, Ambala City (Harayna).

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant is evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of service. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him to appear in this court on 5-11-1986 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against him.

Given under my and hand seal of the court this 25th day of September, 1986.

Seal. A. S. JASWAL,
Sub-Judge 1st Class, Rampur, District Shimla.

In the Court of Shri K. S. Chandel, Sub-Judge 1st Class (II), Shimla, Himachal Pradesh

In case No. 68/1 of 85

M/s Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd. a Government undertaking registered office at Nigam Vihar, Shimla-2 and Branch Office, Subzi Mandi, Shimla-2

..*Plaintiff.*

Versus

Shri Raginder Prashad Bhalia and others ..*Defendants.*

Suit for recovery of Rs. 4479.09 P.

To

Shri Dharam Pal Dhanta, Food and Serverage Manager Oberoi Clarks. Shimla.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant Shri Dharam Pal Dhanta is avading the service of the summon and cannot be served in the normal course of service.

Hence a publication under order 5, rule 20, C.P.C. issued against you to appear in this court on 24-11-1986 at 10.00 A.M. personally or an authorised agent to defend the case, failing which the *ex-parte* proceeding will be taken against you.

Given under my hand and seal of this court this 25th day of September, 1986.

Seal. K. S. CHANDEL,
Sub-Judge 1st Class (II), Shimla.

In the Court of Shri K. L. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Una

C. S. No. 232/86

Applicaption u/o 1 R. 8 C. P. C.

1. Ram Nath son of Salig Ram, 2. Ram Parkash s/o Mansha Ram, 3. Ram Lal son of Amin Chand, caste Brahman, 4. Rikhi Ram s/o Mani Ram, caste Labana, 5. Gurdass Ram son of Ram Chand, Caste Saini, r/o village Bharolian Khurd, P.S., Tehsil and District, Una ..*Plaintiffs.*

Vs.

1. Shamsher Singh, 2. Avtar Singh, 3. Jang Bahadur ss/o Ajit Singh, 4. Smt. Dhan Devi, 5. Smt. Kewal Devi ds/o Dev Raj, 6. Sugriv Singh, 7. Bali Singh ss/o Nasib Singh, 8. Angad Singh, 9. Kabal Singh ss/o Maksoodan Singh, 10. Smt. Sarojwala wife of Kabal Singh, 11. Bikram Singh, 12. Kamal Singh ss/o Malkiyat Singh, 13. Smt. Soman Devi d/o Malkiyat Singh, 14. Subhadra Rani, 15. Santosh Devi ds/o Bachittar Singh, caste Rajput, r/o Village Bharolian Khurd, Tehsil and District, Una, Himachal Pradesh.

Versus:

1. Babu Ram, 2. Kishna ss/o Hamira, 3. Jamana Dass s/o Dharu, 4. Onkar Chand s/o Harbans, 5. Nanak Chand s/o Jamana Dass, 6. Matlok s/o Mansha Ram, 7. Ram Paul s/o Mansha Ram, 8. Dina Nath s/o Maiya, 9. Gonda Ram A-Nathu, 10. Milkhi Ram s/o Lalji Ram, 11. Sham Lal s/o Mukand Lal, 12. Roshan Lal s/o Raja Ram, 13. Thirth Ram s/o Birju Ram, 14. Ram Gopal s/o Charu Ram, 15. Sagli Ram s/o Sant Ram, 16. Jiwan Ram s/o A. Kanshi Ram, 17. Kishan Dev s/o Jog Raj, 18. Milkhi Ram, s/o Achhar, 19. Mangat Ram s/o Sant Ram, 20. Yash Paul s/o Bhagat Ram, 21. Ram Paul s/o Bhagat Ram, 22. Shadi Lal s/o Bhagat Ram, 23. Sham Nath s/o Bhagat Ram, 24. Kamla Devi w/o Jagjeeta, 25. Daulat Ram s/o Panchu, 26. Mohan Lal s/o Panchu, 27. Om Dutt s/o Ram Lok, 28. Chet Ram s/o Ram Lok, 29. Faqir Chand s/o Lachhaman, 30. Ram Ashara s/o Lachhaman, 31. Ram Piari w/o Sant Ram, 32. Rajjo Devi w/o Kanshi Ram, 33. Mangat Ram s/o Munshi Ram, 34. Balram s/o Munsh Ram, 35. Kamal s/o Munsh Ram, 36. Sukhdev s/o Babu Ram, 37. Bhagwanti w/o Baldev Raj, 38. Ram Dass s/o Daya Ram, 39. Kishan s/o Daya Ram, 40. Ram Parkash s/o Ami Chand, 41. Herbhaj s/o Daya Ram, 42. Jagdish Ram s/o Sant Ram, 43. Ramswarup s/o Sant Ram, 44. Kamala Devi w/o Ramesh Chand, 45. Mangat Ram s/o Pala Ram, 46. Madan Lal s/o Raja Ram, 47. Krishan s/o Raja Ram, 48. Jawhwant Kumar s/o Gurdas Ram, 49. Ram Nath s/o Munshi Ram, 50. Kamal Dev s/o Munshi Ram, 51. Vijay Kumar s/o Harbansh Lal, 52. Vijay Kumar s/o Ram Lok, 53. Mahesh Rani w/o Madan Lal all caste Brahmans, 54. Jiwan Singh s/o Munshi Ram, 55. Gurdass Singh s/o Harnama, 56. Prem Singh s/o Lachhaman, 57. Manmohan Singh s/o Banta Ram, 58. Mastan Singh s/o Lachhman all caste Rajput, 59. Mela Ram s/o Ram Ditta, 60. Sadha Ram s/o Bhulla, 61. Pritu s/o Ralla Ram all caste Harijan, 62. Charan Dass s/o Ram Chand, 63. Shom Nath s/o Ram Chand, 64. Tara Singh s/o Mania, 65. Gurbachan s/o Mania, 66. Charno Devi w/o Banta Ram, 67. Pappu s/o Maya Devi, 68. Doalt Ram s/o Mirpu Ram, 69. Totu Ram s/o Kitpu Ram, 70. Greeb Dass s/o Siddhu, 71. Gian Devi w/o Siddhu, 72. Shankar s/o Siddhu, 73. Darshan s/o Sadhu, 74. Bhajno Devi wd/o Amar Nath, 75. Tilk Raj s/o Amar Nath, 76 Ram Parkash s/o Prabhu, 77. Gurmail Singh s/o Prabhu, 78. Lachaman s/o Wzaru, 79. Harbansh s/o Kishan

Chand, 80. Desh Raj s/o Kishan Chand, 81. Rattan Chand s/o Sant Ram all caste Saini, 82. Kartar Chand s/o Rulia, 83. Sita Ram s/o Ram Dass, 84. Baldev s/o Ram Dass, 85. Dhania s/o Jhanda, 86. Amar Nath s/o Jagat Ram, 87. Bachan Lal s/o Jagat Ram, 88. Sunder s/o Nanda, 89. Bhagat Ram s/o Nanda, 90. Rattan Lal s/o Chanda 91. Atari Devi w/o Ram Lal, 92. Ram Nath s/o Babhu Ram, 93. Harvilas s/o Babu Ram, 94. Ram Parkash s/o Babhu Ram, 95. Mohan Lal s/o Babu Ram, 96. Sohan Lal s/o Babhu Ram, 97. Prem Chand s/o Mani Ram, 98. Ganga Ram s/o Mani Ram, 99. Dault Ram s/o Mani Ram, 100. Onkar Singh s/o Gandda Singh, 101. Ninngkar Singh s/o Gandda Singh, 102. Hari Singh s/o Rattan Lal, 103. Talu Ram s/o Goppi, 104. Kirpu s/o Tidda, 105. Roshan Lal s/o Kirpu, 106. Kishan Chand s/o Kirpu, 107. Basso Devi d/o Jhanda all caste Labana, 108. Rattni Devi Hakko, 109. Achharan Devi d/o Hakko, 110. Vidya Devi d/o Ruldu, caste Brahman all resident of Bharolian Khurd, Tehsil and District, Una.

Whereas in the above noted case it has been proved that the above named co-sharers on whose behalf the plaintiffs wants to sue is large enough, whereas the personal service of each co-sharer as such is not practicable, hence the permission is granted under order 1, rule 8, C.P.C. to the plaintiffs to file the suit in a representative capacity.

Hence this proclamation under order 1, Rule 8, C.P.C. is hereby issued against the above noted defendants to appear in this court on 14-11-1986 at 10.00 A.M. personally or an authorised agent or pleader to defend the case, failing which they would be proceeded *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court today the 22nd September, 1986.

Seal.

K. L. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class, Una,
District Una.

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दिवानी

बअदालत श्री जी0 सी0 सिहा कुलैक्टर उप-मण्डल अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा मसतीया सुपुत्र काला राम, निवासी ग्राम कड़याच, प0 सन्धूरत, तहसील अर्की ..सायल।

बनाम

श्री रूप चन्द सुपुत्र रत्नू, (2) सीस राम, सुपुत्र व श्रीमती सत्या रत्नू, 3. श्रीमती सरस्वती बेवा रत्नू आदि ..प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त जेर धारा 4 आफ एच0 पी0 रिडम्पशन आफ मोर्टगेज ऐक्ट।

नोटिस बनामः—धनू वल्द नजरू, साकन कहड़ोग, प0 सन्धूरत, तहसील अर्की, जिला सोलन।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी श्री धनू सुपुत्र नजरू, निवासी कहड़ोग को इस न्यायालय से बराये पैरवी समन जारी हुए रिपोर्ट तामील कुनिन्दा से कि धनू उपरोक्त काफी अरसा से लापता है जिस कारण उपरोक्त प्रतिवादीगण पर आसानी से तामील समन होनी कठिन है। अतः धनू उपरोक्त प्रतिवादी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह जहां कहीं भी हो दिनांक 31-10-1986 को सुबह 10 बजे हमारे न्यायालय में स्वयं अथवा वकील द्वारा पैरवी हेतु हाजिर आवें। अदम हाजिरी में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

दिनांक 19-9-1986 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

जी0 सी0 सिहा,
कुलैक्टर उप-मण्डल, अर्की,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बअदालत श्री आई0 एन0 वाली, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा दरुस्ती गिरदावरी, अराजी खाता खतौनी नं0 14/22 खसरा नं0 59/2, रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, ख0 नं0 64/3 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा व ख0 नं0 68/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, किते 3 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा वाक्या मौजा वैम् भलेड़ा, प0 घ्याल्ठ, तह0 अर्की जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

महन्तु सुपुत्र श्री कखु, निवासी वैम् भलेड़ा, तह0 अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ..सायल।

बनाम

(1) श्री नच्छु, (2) गुलाबा सुपुत्र गण गुशांऊ, (3) श्रीमती दरोपती पत्नी सन्त राम, (4) परस राम, (5) बाबू राम सुपुत्रगण रचु (6) श्रीमती द्वारकू सुपुत्री श्री शिगारू, (7) मतमू, (8) गणदनू, पुत्रियां शिगारू, (9) श्रीमती द्वारकू विधवा जोत राम, (10) चेत राम सुपुत्र व (11) बड़ी मुन्नी सुपुत्री देवी राम, (12) सन्तु सुपुत्र जिवणू, (13) हिरू सुपुत्र शिगारू, निवासी वैम् भलेड़ा, प0 घ्याल्ठ, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ..फरीक दोयम।

विज्ञापन

मुकद्दमा उपरोक्त में जब भी फरिक दोयम श्रीमती द्वारकू विधवा जोत राम, सन्तु सुपुत्र जिवणू, निवासियान वैम् भलेड़ा, प0 घ्याल्ठ, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को जब भी समन भजे गए तो हर बार बिना तामील वापिस आए। इस अदालत को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इन फरीकैन दोयम की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती। अतः उन्हें इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-10-1986 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दावे में आगे कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-9-86 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आई0 एन0 वाली,
सहायक कुलैक्टर (द्वितीय वर्ग),
अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

बकार्यालय श्री राजेन्द्र प्रकाश कौशल, सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विजय सिंह

बनाम

आम जनता

उनवानः—दरख्वास्त बराये पंजीकृत किए जाने वसीयतनामा मुतवफी श्री गोविन्दू राम पुत्र मुरजन राम, गांव व डाकघर टिकरी मन्हासा, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

जेर धारा 40/41 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908

नोटिस बनामः आम जनता।

उपरोक्त उनवान बाला के बारे में श्री विजय सिंह पुत्र गोविन्दू राम उपर्युक्त मुतवफी ने दरख्वास्त दी है कि उसके बाप ने वसीयत नामा दिनांक 15-7-1986 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत के पंजीकृत होने में ऐतराज हो तो वह हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 17-11-86 को प्रातः 10 बजे हाजिर आकर पेश कर अन्यथा वसीयत नामा हजा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 26-8-1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

राजेन्द्र प्रकाश कौशल,
सब-रजिस्ट्रार भोरंज,
तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

बकार्यालय श्री राजेन्द्र प्रकाश कौशल, सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

जगदीश चन्द

बनाम

आम जनता

उनवान अदरख्वास्त बराये पंजीकृत किए जाने वसीयत नामा मुतवफी श्री विधि चन्द पुत्र सुन्दर, वासी हिम्बर, तप्पा बमसण, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर तहत जेर धारा 40/41 इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908।

नोटिस बनाम: आम जनता।

उपर्युक्त उनवान बाला के बारे में श्री जगदीश चन्द पुत्र विधि चन्द ने दरख्वास्त दी है कि उसके बाप उपर्युक्त मुतवफी श्री विधि चन्द ने वसीयतनामा दिनांक 1-6-1984 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत के पंजीकृत होने में कोई ऐतराज हो तो वह हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 11-11-1986 को प्रातः 10 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा वसीयत नामा हजा पंजीकृत कर दिया जावेगा ।

आज दिनांक 30-9-1986 को मेरे दस्तखत व मोहर कार्यालय से जारी हुआ ।

मोहर ।

राजेन्द्र प्रकाश कौशल,
सब-रजिस्ट्रार, भोरंज,
जिला हमीरपुर ।

बअदालत श्री राम दास शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी

बमुकदमा :

मेघ सिंह, मोहन, धर्म सिंह पिसरान हिरदा, निवासी गीयूहणी, मौजा प्रेण, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..फरीकअव्वल ।

बनाम

श्री राम सिंह उर्फ सिंघ सुपुत्र सुदामा, शेर सिंह सुपुत्र हीरदा, निवासी गोयूहणी, मौजा प्रेण, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..फरीक दोयम ।

दरख्वास्त मेहत गिरदावरी खेवट खतौनी नम्बर 18 मिन/38 मिन किता 14 तादादी 1-18-13 वाकया मौजा गयूहणी/224।

उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में फरीक दोयम राम सिंह उर्फ सिंघ पर समन की तामील आसान तरीका से नहीं हो रही है ।

अतः उपरोक्त फरीक दोयम को बजरिया गजट इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में श्री राम सिंह को उजर या ऐतराज हो तो वह मिति 31-10-1986 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे।

आज दिनांक 25-9-86 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

राम दास शर्मा,
मोहर । सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्द्रनगर ।

बअदालत श्री रामदास शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी

बमुकदमा :

मेघ सिंह, मोहन, धर्म सिंह पिसरान हिरदा, निवासी गीयूहणी, इलाका प्रेण, तहसील जो0 नगर, जिला मण्डी ..प्रार्थीगण ।

बनाम

राम सिंह उर्फ सिंघ सुपुत्र सुदामा, शेरसिंह सुपुत्र हिरदा, मंगतू उर्फ मंगत राम सुपुत्र गुरदयाल, निवासी गीयूहणी, इ0प्रेण, तहसील जो0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..फरीक दोयम ।

दरख्वास्त सेहत गिरदावरी खेवट खतौनी नम्बर 42 मिन/195 मिन खसरा नम्बरान किता 14 रकबा तादादी 2-0-17 बीघा वाकया मौजा प्रेण ।

उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में फरीक दोयम नं0 एक श्री राम सिंह उर्फ सिंह पर समन की तामील आसान तरीका से नहीं हो रही है ।

अतः उपरोक्त फरीक दोयम को बजरिया गजट इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में राम सिंह को उजर व ऐतराज हो तो वह मिति 31-10-86 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। सूचित रहे ।

आज दिनांक को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर राम दास शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर ।

बअदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार, कांगड़ा

मुकदमा नं0 आफ 1986

नरेन्द्र कुमार आदि पुत्र मेहर चन्द, वासी रोखड़

बनाम

सर्व जनता

..प्रत्यार्थी

दरख्वास्त बाबत रजिस्ट्री करवाने वसीयत नामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1903 हेतु।

नाईब शरफ, कांगड़ा

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को बजरिया मुअतरी मुनादी कर के सूचित करें कि नरेन्द्र कुमार आदि उपरोक्त ने मिति 17-9-86 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री मेहर चन्द पुत्र सुन्दर, वासी रोखड़ ने एक वसीयत नामा बहक प्रार्थी के नाम लिखवाया है कि उस की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति उस के मरणोपरांत प्रार्थी के नाम की जावे जिस की तारीख पेशी 17-11-86 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या ऐतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आ कर पेश कर सकता है इसके बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा। अन्यथा गैर हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी। खर्चा मुतरी मुनादी मुबलग दो रु0 के रसीदी टिकट लफ हैं ।

आज बतारीख . . . मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार,
कांगड़ा ।

अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसील, सुन्दरनगर, मि0 नं0 42/74।

श्री जीवानन्द सुपुत्र कुणू, निवासी कांगू, तहसील सुन्दरनगर।

वनाम

सल्हो सुपुत्र हरिया निवासी कांगू, तहसील सुन्दरनगर।

दरख्वास्त सेहत इन्द्राज खसरा गिरदावरी सिफज काश्त वावत रकबा 0-4-8 बीघा मुन्दरजा खाता नं0 65/127 मिन खसरा नं0 833/1, वाक्या मुहाल कांगू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस वनाम:—श्रीमती फूला देवी विधवा बुधू निवासी वटोक्रण (मारकण्डा) तहसील व जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह इस नोटिस द्वारा इतला दी जाती है कि उपरोक्त मुकदमा मिति 30-10-1986 को हमारे न्यायालय में मुकर्रर है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप उपरोक्त तिथि को सुबह 10 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होवें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज तिथि 29-9-1986 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)।

व अदालत श्री आर0 डी0 वर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी सोनी, तहसील सोनी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

इश्तहार जेर धारा 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0

व मुकदमा :

श्री मथरू सुपुत्र श्री झापनू, निवासी मौजा घाटूड, पर0 छोटा बल, तहसील सोनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..सायल।

बनाम

श्री लच्छू सुपुत्र व श्रीमती बबू सुपुत्री श्रीमती मति विधावा बगलू सुपुत्र झापनू, निवासी घाटूड, पर0 छोटा बल, तहसील सोनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ..(फरीक दोयम)।

दरख्वास्त तकसीम भूमि वाला चक घाटूड, पर0 छोटा बल।

बनाम :

श्रीमती बबू सुपुत्री व श्रीमती मती विधावा बगलू सुपुत्र झाफनू, निवासी घाटूड, परगना छोटा बल, तहसील सोनी, जिला शिमला।

मुकदमा उपरोक्त उनवान वाला में श्रीमती बबू सुपुत्री व श्रीमती पति विधावा बगलू, मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा के सुकेत में रहनी बताई जाती है तथा सायल दरखास्ती है कि उपरोक्त फरीक दोयम अरसा 28 वर्षों से अपना घर छोड़ कर सुकेत चली गई थी, सायल को इनके सही पता का मालूम नहीं कि वह कहां रहती है। ऐसी सूरत में उपरोक्त फरीक दोयम पर तामील समन करवाई जानी असम्भव मालूम पड़ती है। अतः श्रीमती बबू पुत्री व श्रीमती मति विधावा बगलू को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि मुकद्दमा उपरोक्त उनवान वाला में तारीख पेशी मिती 6-11-1986 को प्रातः 10 बजे निश्चित हुई है। बगरज जवाब देही तारीख मुकर्रर्रा पर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय (यकतरफा) कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-9-86 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 वर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सोनी, जिला शिमला।

न्यायालय हरनाम सिंह ढटवालिया सब-रजिस्ट्रार सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

व मुकदमा :—

बख्शी राम सुपुत्र गुलाबा निवासी डबरोग, इलाका सुरंगा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

वनाम

आम जनता ..फरीकसानी।

दरख्वास्त वावत किए जाने रजिस्टर वसीयतनामा जो भगत राम ने मुझर के नाम पर तहरीर किया है।

उपरोक्त प्रार्थी ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र वगर्ज तस्दीक व रजिस्टर्ड किए जाने वसीयत जो कि भगत राम ने प्रार्थी व उसके भाई के नामों पर लिखवाई है पेश किया। वसीयत करदा भगत राम दिनांक 29-11-82 को फौत हो चुका है अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उक्त वसीयत की तस्दीकी व रजिस्टर्ड होने में कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-11-86 को हाजिर न्यायालय हजा में आकर पेश करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा दिनांक 26-9-86 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-,
सब-रजिस्ट्रार, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय हरनाम सिंह ढटवालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा:—परमा पुत्र नन्दू पुत्र गणपत, निवासी परनौह इलाका भतरोता, तहसील सरकाघाट ..प्रार्थी।

वनाम

1. लशकरी राम पुत्र रलिया पुत्र मंगल, निवासी परनौह, इलाका भदरोता, तहसील सरकाघाट ..फ्रीक दोयम

2. सुन्दर राम पुत्र कानीया, 3. रेशमू विधवा रोडू, 4. परमा पुत्र नन्दू, 5. बालक राम पुत्र जल्हू 6. हिमी पुत्री व 7. हमन्त, 8. रतन पुत्र श्रीमती कागदू पुत्री जल्हू, 9. सुन्दर पुत्र पूर्बु, 10. कर्म सिंह, 11. हंस राज, पुत्र व 12. बोहरी, 13. विमला, 14. सावित्री पुत्री व. 15. व प्रेमी विधवा जिन्दू उपनाम चन्दू 16. बालक राम पुत्र श्यामी, 17. हिमी पुत्री व 18. महन्त. 19. रतन पुत्र कागदू पुत्री श्यामी, 20. दिवाना, 21. सरन पुत्र सन्तू निवासी परनौह, इलाका भदरोता ..तरतीबी फ्रीक दोयम।

दरख्वास्त सेहत गिरदावरी

उपरोक्त फ्रीक दोयम को न्यायालय हजा से कई बार समन जारी हुए। लेकिन उन पर तामील हस्ब जाब्ता नहीं हो रही है तथा न्यायालय हजा को भी विश्वास हो चुका है कि उन पर तामील समन साधारण तरीका से नहीं हो रही है। अतः समस्त उपरोक्त फ्रीक दोयम व तरतीबी फीक दोयम को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 18-11-86 समय 10 बजे प्रातः असालतन या वकालतन न्यायालय हजा में हाजिर होवें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-9-86 को जारी हुआ।

मोहर। हरनाम सिंह ढटवालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरकाघाट।

जेर आर्डर 5, नियम 20 सी0पी0सी0

बअदालत जनाब सुशील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील सन्धोल जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 2/86 तारीख मरजुआ 8-1-1986

बमुकद्दमा.—श्री दूगला पुत्र हिरा पुत्र साजू निवासी मलूआ, इलाका बमलाह ..प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती प्रभी पुत्री छांगू पुत्र श्रीमती पंजाबू, विधवा रेलू, निवासी डेढल, इलाका कमलाह, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ..प्रत्यार्थीगण।

श्री भादर-नरैणू खेम सिंह पुत्र फता, निवासी सकोह, इलाका कमलाह, उप-तहसील सन्धोल तरतीबी ..प्रत्यार्थीगण।

सेहत गिरदावरी हेतु प्रार्थना-पत्र

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को कई बार इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु हाजर अदालत नहीं हो रहे हैं जिससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगण पर आसान तरीका द्वारा तामील समन नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा की तारीख पेशी 29-11-1986 को निश्चित की गई है। लिहाजा आपको चाहिए कि तारीख पेशी मुकर्ररा पर सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर मुकद्दमा की पैरवी करे। उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज मिति 30 सितम्बर, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी।

अण्डर आर्डर 5, नियम 20 सी0पी0सी0

बअदालत जनाब सुशील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 6/86 तारीख मरजुआ 15-5-1986

बमुकद्दमा.—श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह, निवासी घनाला, इलाका व उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थिन।

बनाम

श्रीमती जैवन्ती विधवा दमोन्धी, महन्त राम पुत्र चुहड़ू, निवासी घनाला, सीता राम पुत्र छांगू दिना नाथ, प्यार चन्द पुत्र छांगू निवासी जमूला, श्रीमती कला देवी पत्नी हरिया, निवासी धलारा, श्रीमती बन्नू देवी पुत्री छांगू निवासी भूर, श्रीमती मिनकी देवी पत्नी तेग राम निवासी धलारा, जोगिन्द्र सिंह अर्जुन सिंह पुत्र श्रीमती देवकू देवी विधवा कपूर सिंह निवासी घनाला, श्रीमती फुलां देवी पत्नी बिधी चन्द निवासी नरपांहल, तहसील सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, श्रीमती सरपा देवी पत्नी जसवन्त, निवासी कच्छाली, इलाका व उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ..प्रत्यार्थीगण।

सेहत गिरदावरी हेतु प्रार्थना पत्र

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को कई बार इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु हाजर अदालत नहीं हो रहे हैं जिससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगण पर आसान तरीका द्वारा तामिल समन नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा की तारीख पेशी 27-11-86 को निश्चित की गई है। लिहाजा आपको चाहिए कि तारीख पेशी मुकर्ररा पर सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर मुकद्दमा की पैरवी करे। उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज मिति 30 सितम्बर, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्विती श्रेणी,
उप-तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी।

जेर आर्डर 5, नियम 20 सी0पी0सी0

बअदालत जनाब सुशील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 4/86 तारीख मरजुआ 8-1-86

बमुकद्दमा :

श्री दुगला पुत्र हिरा, निवासी मलूआ, इलाका कमलाह, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ..प्रार्थी।

बनाम

श्री सन्त राम पुत्र जवाला, श्रीमती सिपती देवी विधवा जोधू राम, भजन, सुन्दर सिंह पुत्र श्रीमती मैना बेवा लच्छमण पुत्र भदीया गिरधारी पुत्र भदीया, बुधी सिंह पुत्र जवाला, मौनी, भीम सिंह पुत्र व श्रीमती सन्ती, श्रीमती धर्मी, श्रीमती पारवती पुत्री जोधू, ज्ञान चन्द पुत्र ठाकर, निवासी मलूआ, इलाका कमलाह ..प्रत्यार्थीगण।

सेहत गिरदावरी हेतु प्रार्थना पत्र

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को कई बार इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु हाजर अदालत नहीं हो रहे हैं जिससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगण पर आसान तरीका द्वारा तामिल समन नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा की तारीख पेशी 29-11-86 को निश्चित की गई है लिहाजा आपको चाहिए कि तारीख पेशी मुकर्ररा पर सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर मुकद्दमा की पैरवी करें। उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज मिति 30 सितम्बर, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी।

अण्डर आर्डर 5, नियम 20 सी0पी0सी0

बअदालत जनाब सुशील कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 1/86 तारीख मरजुआ 8-1-1986

बमुकद्दमा :

श्री दूगला पुत्र श्री हिरा पुत्र श्री सौजू, निवासी मलूआ ईलाका कमलाह, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ..प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती प्रभी पुत्री छांगू पुत्र, श्रीमती पंजाबू विधवा रेलू पुत्र हिरा निवासी डढ़ल, इलाका कमलाह, श्री कुन्दन लाल पुत्र

अच्छरू राम, निवासी मलूआ, उप-तहसील सन्धोल ..प्रत्यार्थीगण ।

सेहत गिरदावरी हेतु प्रार्थना पत्र

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को कई बार इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु हाजर अदालत नहीं हो रहे है जिससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगण पर आसान तरीका द्वारा तामिल समन नहीं हो सकती है । अतः उपरोक्त प्रत्यार्थीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोणत उनवानवाला मुकद्दमा की तारीख पेशी 29-11-86 को निश्चित की गई है । लिहाजा आपको चाहिए कि तारीख पेशी मुकरर्रा पर सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर मुकद्दमा की पैरवी करे । उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

आज मिति 30 सितम्बर, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल,
जिला मण्डी ।

न्यायालय श्री एस0 आर0 आर्य, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
भू-व्यवस्था, ऊना

मिसल नं0 154/86, ST Una तारीख दायरा 28-5-86.

श्रीमती रक्षा कुमारी पत्नी श्री किशन कुमार सुपुत्र मिलखी राम, जाति ब्राह्मण, गांव बहडाला, तहसील व जिला ऊना ..वादी ।

बनाम

1. श्री करतार सिंह 2. श्री चुहार सिंह, 3. बलवीर सिंह, 4. बलदेव सिंह, 5. अजमेर सिंह, 6. सलीन्द्र सिंह, 7. सोमनाथ सुपुत्र ज्ञाना, 8. श्रीमती पुत्री हाकम, 9. करम चन्द, 10. किशन चन्द, 11. मान सिंह सुपुत्र सिधू, 12 श्रीमती गीता देवी विधवा तीरथ, 13. रामकली, 14 राकेश लता सुपुत्री तीरथ, 15 व्यास देव सुपुत्र तीर्थ, 16. रामकिशन सुपुत्र मुन्शी, 17. सुभाष सुपुत्र तीर्थ, 18. बिहारी लाल सुपुत्र मुन्शी, 19. श्रीमती मुख्त्यारी, 20. श्रीमती किशनी सुपुत्री मुन्शी, 21. जगदीश चन्द, 22. किशन चन्द, 23. कर्मचन्द सुपुत्र मुन्शी, 24. श्रीमती समरीतो, विधावा मुन्शी, 25. सालीग राम, 26. केवल, 27. शक्ति, 28. तरसेम, 29. रामनाथ सुपुत्र हाकम, 30. शान्ती देवी, 31. विमला देवी सुपुत्री हाकम, 32. बिहारी लाल सुपुत्र प्रशोतम, 33. ओम प्रकाश धर्म सुपुत्र परमा नन्द, 34. सतपाल धर्म सुपुत्र पुन्नू, 35. श्रीमती द्रोपती विधावा, 36. चरंजी लाल, 37. सतपाल, 38. राम आसरा, 39. सोमदत, 40 श्रीमती शकुन्तला, 41. सुदर्शन सुपुत्र राम रखा, 42. भगत राम सुपुत्र राम रखा, 43. श्रीमती सीता देवी सुपुत्री राम रखा, 44. श्रीमती हुक्मी देवी विधावा सोधी, 45. सरोज रानी, 46. किरनदेवी, 47. गोपालराम, 48. राजकुमार सुपुत्र सोधी, 49. उद्यम सिंह, सुपुत्र हाकम, 50. योगराज सुपुत्र माधो राम, 51. रूलीया, 52. गेन्दा सुपुत्र सोभा, 53. शादीलाल सुपुत्र किशन चन्द, 54. रखा सुपुत्र लच्छमण, 55. दुर्गा दास, 56. देशराज सुपुत्र नत्थू, 57. नत्थू, 58. हाकम सुपुत्र चन्दु, 59. उतम सिंह सुपुत्र सिधु 60. रूलीया सुपुत्र हमीरा, 61. किशोरी लाल सुपुत्र बेली राम, 62. ओंकार सिंह, 63. मदन लाल सुपुत्र दिनानाथ, 64. श्रीमती पदमा वती सुपुत्री सालीग्राम, 65. श्रीमती भागवती विधावा सालीग्राम, 66. पृथी चन्द सुपुत्र भगत राम, 67. भगतराम सुपुत्र गुरदिता, 68. रामनाथ सुपुत्र बेली राम निवासी गांव बहडाला, तहसील व जिला ऊना ..प्रतिवादीगण ।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि बाबत खाता नम्बर 548 किता 58 कुल रकबा 103 कनाल, मौजा बहडाला, जमाबन्दी साल 1979-80 तहसील व जिला ऊना इस केस तकसीम की छानबीन न्यायालय द्वारा जारी है । न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी हुए परन्तु वह बिला तामील के वापिस प्राप्त होते रहे । कि प्रतिवादियों का पता न है कि कहां रहता हैं । इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 68 को आदेश 5; नियम 20, सी0पी0सी0 के अधीन सूचित किया जाता है कि वह न्यायालय में दिनांक 7-11-86 को स्वयं या किसी वकील क माध्यम से उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें । उपस्थित न होने की अवस्था में एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 27-9-86 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालय मोहर से जारी हुआ ।

एस0 आर0 आर्य,
मोहर । सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
भू-व्यवस्था, ऊना ।

इश्तहार जेर आडर 5, रूल 20 सी0 पी0 सी0

बअदालत श्री सर्वजीत सिंह, एच0 ए0 एस0 कुलैक्टर, डलहौजी, जिला चम्बा

मुनशी बनाम ..Petitioner.

दयाशील पुत्र रुलम चन्द, साकन रायपुर, प0र0 रायपुर, तहसील भटियात, जिला चम्बा । ..Respondant.

Application under Section 4 of the Restitution Mortgagad Lands Act, 1976.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में दयाशील पुत्र रुलेम चन्द (Respondent) को इस अदालत से बार-बार समन जारी किये गये, परन्तु दयाशील फरीक दोयम आज दिन तक हाजर अदालत नहीं हुआ । अदालत को पूर्णयतः विश्वास हो गया है कि दयाशील फरीकदोयम की तामील साधारण तरीका से होना असम्भव है । अतः दयाशील फरीकदोयम को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-10-1986 को असालतन या वकालतन व मुकाम चवाड़ी बवक्त 10 बजे हाजर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें वसूरत दीगर उसके खिलाफ कार्रवाई एकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनाक 25 सितम्बर, 1986 को हस्ताक्षर हमारे व अदालत मोहर से जारी हुआ ।

मोहर । सर्वजीत सिंह, एच0 ए0 एस0,
कुलैक्टर डलहौजी, जिला चम्बा ।

अदालती सूचना

बअदालत श्री हरि राम गुलेरिया, उप-पंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

प्रार्थना पत्र धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण एक्ट दर्ज करने वसीहत

श्रीमती वीवी पत्नी, मजीद, निवासी भोजपुर, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

इस अदालती सूचना द्वारा वारसान श्रीमती वीवी पत्नी मजीद, निवासी भोजपुर, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 के नाम दिनांक 24-6-86 को श्री हममतउला सुपुत्र नानकू पुत्र रांझा आयु 70 साल, निवासी भोजपुर सुन्दरनगर ने अपनी चल-अचल सम्पत्ति जो मुहाल भोजपुर व केरल में है वसीअत नामा कराया है । इस वसीयतनामा के अनुसार उक्त व्यक्ति के मरने के बाद उनकी पत्नी की देखभाल भी श्रीमती वीवी इस सम्पति द्वारा करेगी । अब यह वसीअत इस कार्यलय में दिनांक 30-10-1986 को पंजीकृत होगी । यदि इस वसीअत के बारा किसी वारसान या आम जनता को कोई उजर हो तो वे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपरोक्त दिनांक को वखक्त 10 बजे दिन को हाजिर अदालत (कार्यालय) आवें । अन्यथा उपरोक्त तिथि को वसीअत पंजीकृत कर दिया जावेगी ।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ ।

हरि राम गुलेरिया,
मोहर । उपपंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर,
जिला मण्डी ।

I, Krishan Dutt s/o Late Shri Rasila Ram, Village Natehar, Distt. Kangra have changed my name to Krishan Chand. All Concerned to note please.

सम्बन्धितगण नोट करने की कृपा करें।

कृष्ण चन्द,
गांव नटेहड़, डा० कांगड़ा
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

मैं, कृष्ण दत्त सुपुत्र स्वर्गीय श्री रसीला राम, गांव नटेहड़, जिला कांगड़ा ने अपना नाम बदल कर कृष्ण चन्द रख लिया है। सभी

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनायें

शून्य

अनुपूरक

शून्य

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।